GOSSNER EVANGELICAL – LUTHERAN CHURCH IN CHOTANAGPUR AND ASSAM

GELC ARCHIVE

Call Number: **GELC-A _ 001 _ 1458**

Classification:

Original File No: Unknown

Title

HRDC REPORT

Volume:

Running **from year:** **till year: 2001**

Content:

- **Director's report_2001**
- **Director's report_2002**

जी.ई.एल.सी. मानव संसाधन विकास केन्द्र एवं सी.ई.एल.

(जी.ई.एल. चर्च, राँची-८३४००१)

एफ.पी.पी. एवं एच.आर.डी.सी. के

अर्द्ध वार्षिक कार्य-कलाप (जनवरी—जून) २००२

सम्वाद परिचर्या (२८) ★ निजी वितरण ★ जनवरी—जून २००२

डाईरेक्टर का रिपोर्ट

२००२ ई० का यह अर्द्ध वार्षिक काल गोस्सनर एवंजेलिकल लूथरन कलीसिया के नये संशोधित संविधान (१९९५) के लागू होने का ७वाँ कार्य-काल है। उसी साल गोस्सनर कलीसिया में "बिशपीय पद्धति" अपनायी गयी, ताकि कलीसिया में और कलीसिया के द्वारा बहुत सारे काम (?) बेहतर रूप से चलाये जायं। इसी साल (१९९५) इस "भूखंड में सुसमाचार के पहुंचने की १५० वर्षीय जुबिली भी मनायी गयी और जुबिली महोत्सव के पूर्वाभास "जी० ई० एल० सी०, "मानव संसाधन विकास केन्द्र एवं सी०ई०एल० (एच०आर०डी० सी०)" का स्थापन-उत्सव भी मनाया गया। ओक्टोबर १५-१६, १९९५; यह संयोग ही नहीं, पर पूरे सोच-विचार कर कार्यक्रम बनाया गया। नये संविधान के अनुसार सुसमाचार कार्य एवं सहित्य विभाग (बी०ई०एल०) का विकेन्द्रीय करण तो हुआ पर साथ ही कलीसिया में और कलीसिया के द्वारा "सर्वसमाबिल्ट (होलिस्टीक) समझ" को भी आज की कलीसिया और समाज के लिए कार्यान्वित करने के दर्शन को भी ठोस रूप देने का संकल्प हुआ। अतः गोस्सनर कलीसिया के डायोसीस एवं अन्य प्रशासनिक ईकाइयों तथा एच०आर० डी०सी० के बीच समन्वय और सहयोग की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया।

अब तक तो प्रशासनिक ईकाइयों के सभी पदधारी "पद-अधिकारी" एवं सभा-सदस्य और कर्मचारी अपने पद, पैसा और प्रतिष्ठा को समाहित (कॉन्सोलिडेट) करते हुए सुदृढ़ एवं सुसंगठित करने में व्यस्त लगे हुए हैं, वे अपने और कलीसिया के कामों और जवाबदेहियों को परिभाषित करते हुए वैसी कार्ययोजना बनाने और वैसा काम करते हुए कलीसिया में शान्ति, संगति और समृद्धि लाने के कोई आसार नहीं दिखते हैं। बिशप-पद्धति लागू किये जाने

से ऐसी आशा की जाती रही है, कि कलीसिया में आत्मिक जीवन और जवाबदेहियों पर विशेष ध्यान जायगा, यह विशेष कर इन दिनों में सेवा की सर्वसमाविष्ट समझ को आधार मानकर कलीसिया में और बाहर की बदलती और बिगड़ती परिस्थितियों को पहचानते, विश्लेषण करते हुए मुल्यांकन के स्वरुप में "कार्य योजना" के द्वारा ही कार्यन्वित किया जा सकता है। ऐसा से गोस्सनर कलीसिया को ओटोनोमी को उसके त्रिस्तम्भ (स्वशासन, स्वपालन एवं स्वसुसमाचार प्रसारण) को मजबूत एवं कारगार बनाया जा सकता है।

नये संशोधित संविधान के अनुसार तो प्रत्येक डायोसीस एवं सी०आर०सी० (राँची) को वृहत स्वायत्तता (ओटोनोमी) दी गयी है, इसी के आधार पर 'प्रत्येक डायोसीस कलीसिया के समान काम करेंगे",—उन्हें अनेक विभाग (बोर्ड) बना कर काम करने का आधिकार और जवाब-देही मिले हैं,—चतुर्विध सेवा (काम) भी तो करना है (देखें संविधान III ६) ऐसे अधिकार और जवाबदेही के कारण तो 'सुसमाचार कार्य एवं विकास विभाग" (बी०ई०डी०) प्रत्येक डायोसीस में बनाया गया है! आज तक किसी डायोसीस के इस विभाग की ओर से ऐसी कोई अपनी "कार्य योजना" या "योजना" नहीं दिखतीं हैं। अभी तक एच०आर०डी०सी० कार्य योजना के अनुसार कुछ काम करनें और कराने तक ही सीमित हैं : एच०आर०डी०सी० में कार्यक्रम हैं और होंगे कि कलीसिया में और कलीसिया के द्वारा आत्मिक सेवा के साथ-साथ सामाजिक जवाबदेहियाँ भी निबाही जायं। इसके लिए हर प्रकार से समन्वय और सहयोग की आवश्यकता है।

I दौरा कार्यक्रम :

नये संशोधित संविधान के लागू होने के साथ ही डायोसीस और उसके साथ बी०ई०डी० के अफसरों का वह अधिकार और आर्थिक जवाबदेही को निबाहने के लिए अपने डायोसीस के सीमावर्ती सुसमाचार कार्य क्षेत्रों का नियमित दौरा करें, ताकि क्षेत्रों के लिए जो चितौनी, प्रोत्साहन, सलाह सहयोग और सहायता आवश्यक है उनको दे सकें—"क्षेत्र हमारा है" कह देने से सब कुछ नहीं हो जाता है—ऐसा लगता है कि कई डायोसीस के ऐसे पद-धारी तो इसकी कुछ चिन्ता नहीं करते हैं, सही ढंग से उन्हें मालूम भी नहीं है कि क्षेत्र के कर्मचारियों, या उनके कामों की प्रगति या उनके कामों की क्या स्थितियाँ हैं,—कर्मचारी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? कुछ क्षेत्र में तो कर्मचारी भी नहीं चाहते हैं, कि क्षेत्र में पदधारीगण जायं, ऐसा न हो, कि उनके स्वभाव और काम का भंडाफोड़ हो जाय! डाइरेक्टर एच०आर०डी०सी० को केन्द्र की विभिन्न कार्ययोजनाओं में व्यस्तता के कारण बी०ई०ए०,—काम के समान तो नियमित दौरा करने की सम्भावना नहीं है अब डायोसीस की ही संवैधानिक जवाबदेही है, कि उनके क्षेत्र में सचमुच काम हो।

इस अद्धवर्ष में डाईरेक्टर, एच०आर०डी०सी० ने द०प० डायोसीस के करीमटी क्षेत्र (सुन्दरगढ़/दिवगढ़) में दौरा कार्यक्रम जनवरी (२००२) में बनाया, अनेक नयी मंडलो में पहुँच हुई और वहाँ के कामों का जायजा लिया,—अनेक स्थानों में पंच सूत्रीय कार्य क्रम के अन्तरगत जो कुछ कार्य हो रहे हैं उनकी जानकारी ली : पंचसूत्रीय कार्यक्रम के कुछ ही कार्य-बिन्दू के कुछ ही काम होते नजर आते हैं, अवश्य कुछ तो अच्छे फल नजर आ रहे हैं, पर यह भी देखकर आश्चर्य

और अफसोस लगा कि लगभग ५० वर्षों की पुरानी स्वपालित मंडली (?) में भी सुसमाचारकार्य के नाम से कर्मचारी रखा गया है, और उसके लिए वेतन लिया जा रहा है (?) पर यह और भी अफशोस की बात है कि आवश्यकता होते हुए भी योजना के लिए चिन्ता नहीं है,– बिना कुछ "कार्य-योजना" के ही कुछ-कुछ करने का प्रयास है। (?)

जैसे गत साल (अप्रील २००१) में दो जर्मन अतिथियों को राँची के नजदीक तैमारा सुसमाचार कार्य क्षेत्र में पहुंचाया गया, कि वे पहली सीढ़ी के नये मसीहियों के आनन्द और जीवन को देखें, वैसा ही इस बार १ फरवरी २००२ को उस नये क्षेत्र में दो जर्मन मेहमानों को पहुंचाया गया, कि इन्हें भी कुछ नया अनुभव हो, पर ऐसी कुछ बात नहीं हुई, एक ही दिन का कार्यक्रम था, आरम्भ में एक पाठशाला दिखाया गया जो कर्मचारियों के द्वारा चलाया जाता है—वहाँ कुछ नये क्रिस्तानों से भी बात-चीत हो सकी,—वे कब, क्यों और कैसे सुसमाचार के सम्पर्क में आये—यह बात-चीत कुछ नये अनुभव दिये ? इसके बाद तो एक गिर्जा घर के संस्कार कार्यक्रम में ही पुरा दिन रह गये; मेहमानों को अवश्य संस्कार विधि का नया अनुभव था पर अफशोस की बात, कि वह नई मंडली का नहीं,—दरअसल में कैसा, क्या और कहाँ काम होता है, मेहमानों को देखने और सुनने का अवसर नहीं मिला। क्षेत्र में किसी कार्ययोजना का भी आभास नहीं मिला और न कहीं कोई योजना की रूप रेखा है।

अप्रील माह में द०पू० डायोसीस के सुसमाचार कार्य क्षेत्र (गोइलकेरा/प० सिंहभूम) में लगभग एक सप्ताह का नियमित दौरा कार्यक्रम बनाया गया, कुछ वर्षों के लिए वहाँ जाना अच्छा नहीं समझा गया (?), पर इस बार अनेक मंडलियों में पहुंचने का कार्यक्रम बना, फिर भी कुछ मंडलियों में सड़क/रास्ता के न होने से पहुंच नहीं पाये (!)। क्षेत्र की मंडलियों और कर्मचारियों में शीथिलता आने के लक्षण नजर आते हैं कोई नयी कार्ययोजना नहीं दिखती है, पुरानी हुई सी कार्य-योजना में कोई सक्रियता नहीं है : मतवालपन/नशापान और बेरोजगारी के कारण पलायन नियमित हो गया है,—उनके पुनर्वास के लिये योजना तो नहीं पर कार्योजना भी नहीं हैं। जहाँ साल भर के लिए यथेष्ट हैं—पर उनके साथ व उनके लिए भी आवश्यक कार्य-योजना की आवश्यकता नहीं है। पंच सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर कुछ कार्यबिन्दु सराहनीय रूप हैं, पर उसके लिए कोई विशेष उद्देश्य या लक्ष्ण नहीं लगता है, किसी दिन ऐसे कार्य विन्दु बन्द हो जाने से लोग जहाँ के तहाँ ही रह जायंगे, जैसे उनके पहले की मंडलियों की स्थितियां दीखती हैं।

मई माह में उ० प० डायोसीस के कापू क्षेत्र का दौरा कार्यक्रम था, इस बार भी अनेक नई मण्डलियों में पहुंचे, उनमें कुछ तो पहले के क्षेत्र (लुड़ेग/उदयपुर) के सरहद में लगते हैं – कार्यरूप सराहनीय हैं, पंच सूत्रीय कार्यक्रम के कुछ कार्य बिन्दु पर विशेष ध्यान है, समयाभाव से पूरे क्षेत्र की मण्डलियों में पहुंचना कठिन भी था, पर ऐसा भी है, कि अनेक मण्डलियों में जो सुसमाचार कार्य क्षेत्र (कापू) की मण्डली हैं, वहाँ काम करनेवाले कर्मचारी वहाँ न रहकर उदयपुर/लुड़ेग अर्थात पुरानी स्थापित घोषित की गयी मण्डलियों में ही रखे गये है (?)—, आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से ? यह तो एक प्रकार से धोखा ही है,—वेतन दूसरे जगह के नाम से लेते हैं, पर काम दूसरे जगह हो रहा है (?) यह काम भी तो रीति-विधि अनुसार रक्षा के ही काम हैं (?) जिससे कर्मचारियों के

काम विश्वस्तता एवं समर्पण पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है—इसी से कर्मचारियों में ईर्ष्या एवं द्वेष भी फैलते जा रहा है इसके लिए डायोसीस के पदधारी भी बेपरवाह है (?) क्षेत्र में कुछ योजना की आवश्यकता एवं सम्भावना हैं, पर इसके लिए भी कोई रूचि नहीं है, इससे मण्डली के लोगों में जीवनोद्देश्य का उत्साह नहीं है और लगन भी नहीं है (?) इसी से ४०-५० वर्ष बाद भी आत्मिक-सामाजिक रीति से स्वावलम्बी नहीं दिखते हैं।

कापू क्षेत्र के बाद सामरीपाल क्षेत्र का दौरा करना था, यह जनवरी २४-२७ की विचार-गोष्ठी के समय में कार्य योजना के रूप में बना था, पर उस क्षेत्र से "सुपरभाइजर" की ओर से कोई सक्रियता नहीं दिखाने से दौरा कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा—सुपरभाइजर का कहीं सही स्थायी पता नहीं होने से उनसे सम्पर्क करना भी कठिन है—जब किसी भी कर्मचारी का स्थायी पता ही नहीं हो तो उसके सही कार्य का पता कैसे चले, डायोसीस के पदधारी स्वयं नहीं जानते कि वह कहाँ है और कैसा विशेष काम कर रहा है ?

इन उपरोक्त दौरा कार्यक्रमों के साथ अन्य स्थानों में भी विशेष कार्यक्रमों के तत्वावधान में डाईरेक्टर, एच० आर० डी० सी० ने प्रभावन के रूप में कार्यक्रम बनाया, विशेषकर "महिला क्षमता विकास कार्यक्रम" की विभिन्न विचारगोष्ठियों के समय अनेक पेरिश एवं पाद्रीपन केन्द्रों में पहुंच हुई,—पूरे कोटबों पाद्रीपन में महोपबासाकलोन साप्ताहिक आराधना के क्रम कुछ निर्धारित मण्डलियों में पहुंच कर ख्रिस्तीय विश्वास, काम और जीवन को सार्थक बनाने के लिए आह्वान देने का अवसर बनाया गया। सब लोगों को ख्रिस्त पास इकट्ठे करने की प्रतिज्ञा को भी पूरी करना है (यूहन्ना १२:३२) ?

III विचारगोष्ठियां एवं प्रशिक्षण

एच० आर० डी० सी० की वार्षिक कार्य योजनानुसार दो प्रकार की विचारगोष्ठियाँ हैं, हालांकि वृहत रूप में एक ही कार्य विन्दु के अन्तर्गत आती हैं : (१) "पंच सूत्रीय कार्यक्रम" और (२) "महिला क्षमता विकास कार्यक्रम" की विचारगोष्ठियां। दूसरी "विचारगोष्ठी" पहली की सूक्ष्म (माइक्रो) रूप है।

(१) पंच सूत्रीय कार्यक्रम पर विचारगोष्ठियाँ

प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी जनवरी २४-२७, २००२ को एच० आर० डी० सी० में सुसमाचार कार्य क्षेत्र के पाद्रियों एवं सुपरभाइजरों तथा प्रत्येक के साथ एक प्रचारकों की विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया, इसके लिये केन्द्रीय महिला संघ के पदधारीगण भी आमंत्रित थी, ताकि कार्ययोजना में समन्वय हो सके, हालांकि ऐसा करना बहुत सहज नहीं लगता है, चूंकि प्रत्येक की कार्ययोजना वार्षिक छुट्टियों पर निर्भर करती है।

इस बार भी नियमित कार्यक्रमानुसार दैनिक पाठ, बैबल अध्ययन एवं क्षेत्रों के कार्य-कलाप के विषय रहे, जिनको सुन कर और जानकर अगली कार्ययोजना तय करनी थी। प्रतिभागी सभी

क्षेत्रों से प्रतिनिधि स्वरूप आये हुए थे; कार्य कलाप (रिपोर्ट) सभी क्षेत्र से पंच सूत्रीय कार्यक्रम (= पं०सू० का०) के अन्तर्गत विभिन्न कार्यविन्दुओं [शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती-बारी एवं अन्य पेशा (रोजगार), अर्थ व्यवस्था और आत्मिक सेवा] को लेकर वृहत (माक्रो) को रिपोर्ट पारम्परिक रूप से दिये गये, पर उनका सूक्ष्म (माइक्रो) रूप को कोई विशेषता नहीं दी गयी, "काम करते हैं", "किया जाता है", "करना चाहिए" आदि की चर्चा तो बाकायदे सभी कार्यविन्दुओं पर होती है, पर उन कार्यों को करने से विभिन्न व्यक्तियों, परिवारों, मण्डलियों या पूरे क्षेत्रों में सूक्ष्म रीति से क्या फल या प्रभाव होता है, इसका जिक्र कुछ नहीं या तो बहुत ही थोड़ा हुआ। इस कारण कार्य योजना २००२ साल के लिये कुछ और नये विन्दुओं को जोड़ना उचित नहीं समझा गया। अतः २००१ साल की कार्य योजना के पुराने विन्दुओं को ही फिर से कार्यान्वयन के लिये रेखांकित किया गया : इस वर्ष की अन्य कार्य योजना सूची में पं०सू०का० के सूक्ष्म कार्य विन्दुओं के लिये भी काम करना है।

शिक्षा : साक्षरता के विभिन्न प्रयासों और शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए अल्पशिक्षित, अधूरे शिक्षित (ड्रोप आऊट्स) आदि लोगों के लिए स्वरोजगार उन्मुख प्रशिक्षण के लिये प्रयास और उपाय करना और कराना है।

स्वास्थ्य : "पूर्ण-चंगाई" के साथ रोगनिरोधक की सेवा सेवा के साथ वर्तमान बढ़ती जानलेवा बीमारियों (एच० आई० वी० एड्स = यौन बीमारी) सम्बन्धित जानकारी देना और सावधान रहने का आह्वान करना है।

खेती-बारी एवं अन्य पेशा : लोगों को खाना, कपड़ा, मकान मिले इसके लिए जो आवश्यक, उचित और सम्भव रोजगार हैं, उनको अपना कर सही रूप देना है : खेती-बारी को बेहतर और लाभकारी बनाने के साथ परिस्थितिकीय खेती (इकोलोजिकल फारमिंग) पर भी विशेष ध्यान होना है : "ग्रीन वीक क्लीन वीक", वृक्षारोपण पर विशेष जोर देना है; अन्य पेशा को अपनी योग्यता एवं रूचि के अनुसार स्वरोजगार के रूप में प्रोत्साहन देते हुए उपाय करना और कराना है : जंगल, जमीन, एवं जल-उपज संसाधनों से भी लघु-व्यवसाय का रूप देना है।

अर्थ व्यवस्था : जीविका और सफल जीवनोद्देश्य के लिये धन अर्जन एवं धन-खर्च को सन्तुलित रखने के साथ-साथ धन संचय (बचत) पर विशेष ध्यान देना है ताकि छोटे से छोटों को सेवा पहुंचायी जा सके : यह बचत "बचत-खाता" के साथ सावधि खाता के माध्यम भी हो, रुपेया अवमूल्यन की परिस्थितियों और समस्याओं को देखते हुए चल-अचल आवश्यक एवं उपयोगी सम्पति से भी बचत को बढ़ावा देना है।

आत्मिक सेवा : मण्डली और समाज के लोगों के जीवनोद्देश्य को सार्थक बनाने के लिये वचन और सक्रामेन्ट की जानकारी और समझ के साथ ही आवश्यक और सम्भव उपाय करना है,– मात्र कंठस्थ करा कर पारम्परिक रूप तक या रीति विधि तक सीमित नहीं रह जाना है, पर दैनिक / व्यावहारिक जीवन तक लागू करना है। इसके लिए उपयुक्त पुस्तक-पुस्तिका भी पढ़ना है : इसी लघु पुस्तकालय के लिए भी पुस्तक-पुस्तिकाए दी गई हैं। इन उपरोक्त कार्यविन्दुओं की

सूक्ष्मता से विचार विमर्श एवं कामों को व्यावहारिक बनाने के लिए इस बार विचारगोष्ठी के पश्चात प्रत्येक पाद्री को उसके क्षेत्र को छोटी बड़ी विभिन्न २४०-२५० पुस्तक-पुस्तिकाएं लघु पुस्तकालय के लिये दी गयी हैं।

विचारगोष्ठी के लिये आमन्त्रित शोधकर्त्ता ने क्षेत्र से आये सुपभराइजरों एवं पाद्रियों को अपनी ओर से लघुवार्ता देते हुए कार्य योजना निर्धारण की चर्चा करते हुए प्रश्न डाला,—अगली बार [मई माह में (शिक्षा शिविर में) मिलने तक की अपनी कार्य योजना बतायें,—आप क्या-क्या काम ठोस रूप से करेंगे, कि आप अपना रिपोर्ट दे सकें ?

इस वर्ष की कार्ययोजना की रूप रेखा तैयार की गयी है, २००१ ई० के वार्षिक रिपोर्ट में दे दी गयी है।

(२) पंच सूत्रीय कार्यक्रम" स्वयं सेवक प्रशिक्षण

विभिन्न समयों में और विभिन्न जगहों में विभिन्न समूहों, एवं इकाइयों के द्वारा सिफारिशें की गयीं एवं निर्णय भी लिये गये, कि पं० सू० का० (आत्मिक एवं सामाजिक सेवा के काम जैसे—सुसमाचार कार्य क्षेत्र में वैसे ही डायोसीस की पेरिश, पाद्रीपन व मण्डलियों में भी लागू किये जायं,—पर कौन लागू करें ? निर्णय व सिफारिशें फाइलों में बन्द पड़े रह जाय (?) एच.आर.डी.सी. और इसके पूर्व बी० ई० एल० ने पं० सू० का० के आरम्भ के साथ इसको जारी रखने के लिये,—वेतन न मिलने पर भी स्वयं सेवक होकर ही सही इस कार्य क्रम (पं० सू० का०) की आवश्यकता और उपयोगिता को समझते हुए जारी रखा जा सके, अतः सु० का० क्षेत्र से प्रति वर्ष १५-२० प्रतिभागियों का प्रशिक्षण १९८१ साल से ही होता आया है, — अभी भी जारी है, अब तो विशेष डायोसीस के पेरिश व पाद्रीपन में भी पं० सू० का० की आवश्यकता और उपयोगिता को जानते और मानते हुए, जैसे कि विभिन्न सिफारिश एवं निर्णय से पता चलता है, इन्हीं जारी करेगा कौन, अनेक पेरिश, पाद्रीपन एवं मंडली के कर्मचारी एवं पदधारी तो इसे अतिरिक्त कार्य भार समझते हैं और अतिरिक्त भता या वेतन की बातें कहने स्वयं जाते हैं — वे अपनी आत्मिक सेवा व जवाबदेही के साथ सामाजिक सेवा व जबाबदेही ही को पारम्परिक रूप से देखते हुए सीमट जाते हैं, उनकी अपनी ईकाइयों में भी पं० सू० का० के तर्ज पर सामाजिक और आत्मिक समस्यायें बढ़ती ही जा रहे हैं, इससे कलीसिया के लोगों के बीच बड़े आनन्द के सुसमाचार को छोड़ कर छोटे और क्षणिक आनन्द की ओर भागते जाने के खतरे में हैं, कितने तो ऐसे के क्षणिक आनन्द ही में फँसते ही जा रहे, — पर चूंकि वे अपने को " क्रिस्तान " ही कहते है, और कभी-कभी गिर्जा भी जाते हैं —दान भी देते हैं, अतः कर्मचारी और पदधारी भी इससे खुश और सन्तुष्ट लगते हैं। एच० आर० डी० सी० ने सुसमाचार के आनन्द को सब लोगों के लिए (लूका २:१०) पहूंचाने एवं उसमें बने रहने देने की सम्भावना उपाय करने के लिए पेरिश एवं पाद्रीपन प्रतिभागी पं०सू०का० के लिए स्वयं सेवकों के लिए का प्रशिक्षण जारी रखा है, कि लोग बिना वेतन के भी विषय और विचार को लेकर काम करें।

इस साल जून माह में ऐसे प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, एच० आर० डी० सी० के बाद प्रभावन के रूप में ग्राइकेन (ग्रामोदय-आश्रय-केन्द्र), जाकर, (कोटबो) में व्यावहारिक रुप से चलाया गया। वैबल अध्ययन, आराधना विधि ज्ञानार उपदेश विधि, गान-भजन, आत्मिक-सामाजिक जबाबदेहियों को समझने के लिए धर्म शास्त्रीय एवं ऐतिहासिक बिन्दुओं आदि पर विशेष जोर था — अफशोस की बात है, मात्र २६ प्रतिभागी ही थे, जो अधिकांश सुसमाचार कार्य क्षेत्रों ही से थे — चार प्रतिभागी ही स्वचालित स्थापित मंडलो, घोषित किये क्षेत्र से थे, — उन्हें पं० सू० का० की आवश्यकता और उपयोगिता के विषय कुछ तो मालूम है, —पेरिश, पाद्रोपन एवं मंडली के लोगों को न रुचि है और न आवश्यकता है. हांलाकि इस के लिए डायोसीस के पदधारियों तक सूचना पहुंचायी गयी थी।

कुछ पेरिश व पाद्रीपन के लोगों को पं० सू० का० के विषय वृहत जानकारी के लिए अपने यहां भी कुछ कार्यक्रम बनाया फिर भी पं० सू० का० बहुतों के लिये अतिरिक्त कार्य भार समझा जा कर मंडली पाद्रीपन, पेरिश में अशिक्षा (निरक्षरता), बीमारी/अन्ध विश्वास, बेरोजगारी पारम्परिक खेतो-बारी (के कारण भुख व मरी, गरीबी मतवालपन) धर्म-उदासीनता को हल्काई से लेते हैं, —पार लग जाते हैं यह कहते हुए " क्या करे बड़ी समस्या है" । आत्मिक और सामाजिक, (आर्थिक) खोखलापन समस्याए तो बढ़ती जा रही हैं — पर इन्हें पहचानने, विश्लेषण करते हुए मुल्यांकन करने की न रूचि या इच्छा है और न शक्ति (?) है, तो काम की क्या चिन्ता ? विचारगोष्ठियाँ महिला क्षमता विकास कार्य क्रम (बा० पी० डी० मी०) कुछ संकेत किया गया है, कि महिला क्षमता विकास कार्यक्रम (वी० पी० डी० पी०) पंच सूत्रीय कार्यक्रम (पं० सू० का०) के "स्वास्थ्य" कार्य विन्दु के अन्तर्गत " मातृशिशु-स्वास्थ्य-सेवा " के तत्वावधान में कुछ विचार, बात और काम हुए जो "पूर्ण चंगाई" से सम्बन्धित थे। यही आगे चलकर २०वीं शताब्दी के उतरार्द्ध में " मानव अधिकार " के क्रम में " महिला-अधिकार; " " नारी मुक्ति ", " महिला-स्वतंत्रता " जैसे सारे विश्व में गुंज उठे और काम और कार्य योजना उभरते हुए आने लगे। विश्व के ख्रिस्तीय संगठनों (डब्लयु० सी० सी०, एल० डब्लयु० एफ० आदि ने "महिलादशक" (१९८८-१९९८) घोषणा की और महिलाओं के लिए कलीसिया में पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धे मिला कर काम (निर्णय लेने में भी) करने के अवसर एवं जगह मिलनी है, इसको भारत की कलीसिया से गोस्सनर कलीसिया ने भी स्वीकार किया, — गोस्सनर कलीसिया में संवैधानिक प्रावधान भी बना दिया। हवा के रुख में चलने के समान पं० सू० का० को वृहत रूप देने कलीसिया जीवन में सामाजिक एवं आत्मिक सेवा को कार्यान्वित करने के यह अभियान चलाने की कार्य योजना बनायी, — जो समान अधिकार या स्वतंत्रता की चर्चाए चली वे उच्च या मध्यम वर्गीय महिलाओं के लिए व्यावहारिक लगने लगी, पर न्युन्तम वर्ग (ग्रासरुट-तृणमुल स्तर) की महिलाओं के लिए तो सुनते हुए भी अव्याहारिक ही लगने लगीं। अत: एच० आर० डी० सी० ने पं० सू० का० के वृहत रूप में मातृ-शिशु-स्वास्थ्य सेवा को " महिला पूर्ण चंगाई " को लेकर महिला क्षमता विकास कार्यक्रम " को कार्य योजना बनायी इसके लिये हमारे सहयोगियों ने भी खुशी और स्वीकृति जाहिर की और वह कार्य योजना १९९८ से लागू कर दी गयी है कलीसिया, क्षेत्र एवं देश की विभिन्न

परिस्थितियों के कारण सही समय में सही तरीके से सम्भव नहीं हो, पर अब तक इसको सुचारु रुप और लाभ दायक रुप से जारी रखा गया है ।

महिलाओं के बीच में (विशेष कर तृणमुल स्तर) चेतना जागरण के लिए बिभिन्न समय, जगह समूह (प्रशासनिक ईकाई विशेष को लेकर) प्रतिभागियों के लिये विचारगोष्ठियाँ एवं प्रशिक्षण अनुष्ठान किये, कि महिलाएं आत्म पहचान, आत्म बल (विश्वास) के माध्यम आत्म निर्भर होते हुए स्वतंत्रता में मजबुत हो जाय । अतः सब से पहले तो कलीसिया के " महिला संघ " के के-द्रीय पदधारियों सहित डायोसीस पदधारिसीयों के लिए विचारगोष्ठी आयोजन की गयीं, तत्पश्चात् डायोसीस के पेरिश स्तर की महिलाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाये जिसमें विशेष जोर दिया गया, कि न्युनतम स्तर की महिलाएं आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार अर्थ अर्जन के लिए अपने यहाँ जंगल, जमीन एवं जलोपन से उपलब्ध संसाधनों से सामग्रियाँ तैयार करते हुए निजी उपयोग के साथ अर्थ-अर्जन कार्य करने के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण के उपाय अपनाएं । इसके लिए " पूर्ण चंगाई " (शारीरिक केवल नहीं पर मानसिक बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक) की आवश्यकता है, जिससे वे सम्भव काम कर सके, कुछ अर्थ-अर्जन कर सके, उसका बुद्धिमता से खर्च कर सकें बचा सके और छोटे से छोटों की सेवा में भी लगा सके । अब इस प्रकार की विचारगोष्ठियां एवं उन्हीं के साथ ही उपलब्ध बस्तुओं से कुछ बनाकर व्यावसायिक रुप देते हुए अर्थ-अर्जन भी करने का प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी हैं — यह पेरिश स्तर से अब पाद्रीपन स्तर तक आ गये हैं ।

इस वर्ष जनवरी १८-१९-२००२ को घोघोर पाद्रीपन केन्द्र में ऐसी विचारगोष्ठी एवं सम्बन्धित प्रशिक्षण चलाये गये, ५५ महिला प्रतिनिधि प्रतिभागी के अलावे पुरुष परिदर्शक-प्रतिभागी भी उपस्थित थे : चेतना जागरण को अब कार्य रुप में परिणित करने के लिए महिलाओं को अधिक सक्रिया होते हुए उपलब्ध बस्तुओं के माध्यम ही कुछ अर्थ-अर्जन की कार्य योजना बनानी है, केन्द्र में पं० सू० का० को कार्य रुप देते हुए १५०० सागवान पौधे लगाये गये, इस वर्ष के मौसम में और १५०० पौधे लगाने की योजना है ।

घोघोर से अगली विचारगोष्ठी सुन्दरगढ़ पेरिश के लिए ठहरायी गयी, जो २०-२१ जनवरी के लिए हुई, प्रतिभागियों की संख्या कम ही (लगभग ४० महिलाओं की) थी, पर आरम्भिक विचारगोष्ठी के रुप में महिलाएं जागरुक, सक्रिया एवं शुभाकांक्षी थीं, आशा है, कि वे आगे आवश्य ही दिशा में आगे काम करने में सक्रिया व निष्ठापन रहेंगी । देवगढ़ पेरिश की महिलाओं स्वयं ही "महिला क्षमता कार्य क्रम" के तत्वावधान में नविचारगोष्ठी का आयोजन अनवरी २२-२३ २००२ क लिए किया और डाईरेक्टर एच० आर० डी० सी० के० साधन स्रोत के लिए आमंत्रण किया था, यहाँ विशेष जंगल जमीन और जलोपज कुछ-कुछ किये जाने पर प्रकाश डालना था, महिला स्वयं ही पूर्व में बतलाए गये छोटानागपुरी आँफी की उपयोगिता की साक्षी कई महिलाएं थीं इसी के साथ महिला-शिशु स्वास्थ्य सेवा विशेष प्रशिक्षण दिया गया, लगभग ६० प्रतिनिधि प्रतिभागी महिलाएं थीं ।

फरवरी माह के उतरार्द्ध में " महिला क्षमता विकास कार्य क्रम के सिलसिले में एच०आर० डी० सी० में पेरिश स्तर के सभी उपलब्ध महिला अफसरों के लिए, जो २००१ के नये चुनावों में चुनी गयी थी, विचारगोष्ठी चलायी गयी, कि महिलाओं के लिए जो कार्य योजना चलायी जा रही हैं उनको भी मालूम हो जाय, कि अपने स्तर पर पूर्ण सहयोग दे सकें,— इसी क्रम में महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शनी सह बिक्री कार्यक्रम रखा गया जहाँ पड़ोस - पेरिशों की महिलाएं लगभग ५० वस्तुएं लायी जो स्वयं निजी या समूह के रूप में बनायी जाती हैं और अर्थ-अर्जन के लधु रुप है। आवश्यक और उचित है कि कलीसिया के महिला संघ के पदधारी इस दिशा में कलीसिया और समाज के कमजोर वर्ग की महिला सेवा एवं अगुवाई पहुंचाये, ताकि महिलाओं का सशक्तीकरण हो और वे अपना स्वतंत्रता को प्रत्यक्ष व्यावहारिक स्थायी बना रख सकें।

मार्च माह २००२ के पूर्वाद्ध में दो पाद्रीपन जहाँ की कुछ महिलाएं, — विशेष कर पदधारियाँ, " महिला क्षमता विकास कार्यक्रम " तर्ज या कुछ सक्रिय हैं और पाद्रीपन की महिलाओं को भी वैसा कुछ सशक्तीकरण के मार्ग पर लाने की कोशिश में हैं, उन्होंने पाद्रीपन के स्तर पर विचारगोष्ठी आयोजित करने की अर्जी की, — प्रत्येक मण्डली से प्रतिनिधि दो महिलाएं आयीं- यह राज आनन्दपुर एवं जुरदाग पाद्रीपन केन्द्रों में विचारगोष्ठियाँ; जंगल, जमीन एवं जलोपज की वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं को बनाने एवं उनको उपयोग में लाने के साथ-साथ लघु व्यावसायिक देने पर विशेष बातों, बात-चीत एवं निष्कर्ष लिये गये—समकालीन सहज उपलब्ध प्राकृतिक वस्तुओं सामने ही व्यावहारिक रुप से विभिन्न वस्तुएं महिलाओं द्वारा तैयार की गयीं, कुछ महिलाएं स्वयं ही खरीद कर ले गयीं, कि अपनी मण्डली की महिलाओं को दिखा सके कि महिलाएं, वे खुद भी कैसी उपयोगी वस्तु बना सकती हैं और पैसे अर्जन कर सकती हैं।

" महिला क्षमता विकास कार्यक्रम " को कलीसिया और कलीसिया के लिए सशक्तीकरण का रुप दिये जाने को प्रयास है, कि महिलाएं " स्वयं-सहायता समूह " के रुप में भी संगठित हो अनेक सरकारी योजनायें से लाभ उठा सकें ? अनेक स्थानों में ऐसे समूह बना कर संगठित भी हो गये हैं और काम भी ले रहा है।

IV क्षेत्र कर्मचारी शिक्षा सह कार्य-विवरण :

प्रति वर्ष की तरह इस साल भी मई—२२ से २६, २००२ को एच०आर०डी०सी०, राँची में आयोजन किया गया, सभी क्षेत्रों से कुछ न कुछ कर्मचारी आये हुए थे, कुछ क्षेत्रों से आधे कर्मचारी आये ही नहीं, शिक्षा शिविर की आवश्यकता और उपयोगिता को समझते नहीं,—महत्व ही नहीं देते, वे अपने आपरम्परिक कार्य को ही यथेष्ट समझते हैं, हलाँकि कार्य त्रुटिपूर्ण एवं अविश्वस्त ही लगते हैं, गैर उपस्थित रहने वाले कर्मचारियों में ऐसे अनेक तो पुरानी मंडली ही में रह गये हैं या डियासपोरा मंडली में रह कर कुछ काम करते हैं और वेतन हो के चक्र में रहते हैं ? ८० कर्मचारी उपस्थित थे। इस बार भी बैबल अध्ययन एवं व्यावहारिक लघु वार्ताओं के साथ-साथ रिपोर्ट-वार्ता हुई जिसमें पंच सूत्रीय कार्यक्रम सूक्ष्म कार्य रुपों पर प्रकाश डाला, कि वे साल दर साल बढ़ते गये, इन्हीं के आधार पर कर्मचारियों को रिपोर्ट तैयार करना था, कि वे सूक्ष्म

काम उनके द्वारा उनके यहाँ कैसे चलाये जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी, न सुपरवाइजर की कार्य-योजना न पादी और न अपनी कार्य योजनानुसार काम करते हैं पर पं०सू०का० के कुछ कार्य विन्दुओं को ही करते हैं,—अधिक तो क्षेत्र की परिस्थितियों का हायतोबा करते हैं,—वर्णन करते हैं,—अशिक्षा, अन्धविश्वास-रोग, खेतीबारी के पुराने रूप, बेरोजगारी, गरीबी, मतबालपन आदि, पर ऐसी परिस्थिति में वे स्वयं क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता हैं, क्योंकि सफलता या अच्छे का तो कहीं जिक्र नहीं होता हैं—कौन सा लक्ष्य पाये सो भी पता नहीं, इसके लिए न सुपरभाइजर को चिन्ता है और न डायोसीस को कुछ परवाह है चिन्ता सही लगता है, कि उन्हें वेतन मिले,—जरुर, पर काम क्या किये पता नहीं, उनकी तो अपनी कोई योजना ही नहीं।

संसाधन-स्रोत वक्ता ने अपनी वार्तालाप एवं बीते जनवरी की विचारगोष्ठी में दिये गये "प्रश्न" अपनी योजना के क्रम अपने कुछ विचार प्रकट किया : एच०आर०डी०सी० अन्य ऐसे केन्द्रों से जो सरकारी या ऐसे सम्पन्न संस्थान या संगठन हैं, उनसे भिन्न है, यहाँ केन्द्र की ओर से अर्थसाधन रकम के रूप में विभिन्न कार्यों के लिए विपुल रूप से नहीं दिये जाते हैं, कि बड़े से बड़े और ऊंच से ऊंच कार्यक्रम और योजनाएं चले पर यहाँ तो, "कुछ करने" और "बहुत करने" की "ऊर्जा" दी जाती है, "शक्ति पुंज" का संचार किया जाता है, प्रतिभागियों और सशक्तीकरण हो और बाहर जाकर समाज और कलीसिया में उचित; आवश्यक और सम्भव काम करें,—परिस्थितियों को पहचाने, विश्लेषण करें और उसके अनुसार कार्य योजना बनाये और कार्य करें,—जो ऐसा नहीं कर सकता है, वह ऐसी कार्य योजना से बाहर अपनी जोविका दूसरे तरह से चलायें : "ग्रामोदय आश्रय केन्द्र" आकरा में ऐसा एक प्रयोग स्थल है, जहाँ कुछ नहीं से बहुत करके दिखाया जा सकता है और पं०सू० का० को सार्थक बनाया जा रहा है, देखने लायक और अनुकरणीय है।

V प्रकाशन :

सुसमाचार कार्य एवं सिहित्य विभाग (बी०ई०एल०) के पुर्नसंगठन के समय (१९६७) से साहित्य-सेवा प्रकाशन जुड़ा है, आरम्भ में तो सुसमाचार के तरीके एवं साधन से जुड़कर ही परचे, पत्रिका, पुस्तक आदि को छापते हुए काम होते थे, पर कालान्तर में तत्कालीन प्रकाशन विभाग के दिवालिया हो जाने से तो धीरे-धीरे इसी विभाग को कलीसिया-उपयोग एवं आवश्यक साहित्य के प्रकाशन करने की सहमति एवं अर्जी हुई, हालांकि इसके लिये समझौता, सहयोग या सुविधा कुछ नहीं, अब लगता है विभाग, एच०आर०डी०सी० का ही एकाधिकार हो गया, किसी ने अधिकृत नहीं किया, एच०आर०डी०सी० में उपाय और प्रयास होने लगा, कि कलीसिया एवं समाज के लिए "साक्षरता एवं सहित्य सेवा" पर कुछ काम किया जाय, पर केन्द्र के वित विभाग ने इसे मना कर दिया, "बी०ई०एल०" की रकम दूसरे मद में नहीं जायगी, हालांकि वही पदधारियों ने अनेक विभिन्न मद की रकम को इधर से उधर कर दिया,— "मद" कल्याणकारी रकम के निजो सुविधा और कल्याण में लगा दिया—समझ-समझ के फेर और समय-समय का तकाजा !

कलीसिया में काम आने वाले अनेक पुस्तक अभी उपलब्ध कराये जा रहे हैं—बहुत कुछ तो उधार में छपवा कर किताबें प्रकाशित की जाती है, पर इसके लिये किनकी चिन्ता है; प्रयास होता

है अधिक से अधिक रकम को बाँटने के लिए फैसला कर खा जायं, भविष्य में साहित्य सेवा कैसे होगी ?

VI अर्थ व्यवस्था

साधारणत: ऐसा समझा जाता है कि मानव संसाधन विकास कार्यक्रम एच०आर०डी०सी० के लिये बहुत रुपैया आता है, इसी लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्यक्रम किये जाते हैं। यह अनुदान किन्ही धनी लोग नहीं देते हैं; पर ख्रिस्त विश्वासी लोग ही ऐसा कुछ दान देते हैं, कि ख्रिस्त-विश्वास का आनन्द बहुतों तक, सभों तक पहुंचाया जा सके; यह बड़ी रकम में नहीं पर कम से कम आवश्यकता को पूरी करने के लिए योजना और बजेट व आय-व्यय के आधार पर ही अपनी आवश्यकताकता को नियंत्रित कर अनुदान स्वरूप दिया जाता है, जो किसी न किसी समय तो समाप्त हो जाना है। आरम्भ (१९६८ ई०) से भिन्न २ तरह से ऐसा कहा गया है कि गोस्सनर कलोसिया को भी ओटोनोमी कलीसिया ही सुसमाचार कार्य में लगना है अत: जारी रखने के लिए इसके लिए अर्थ व्यवस्था ठीक करना है—"सुरक्षा कोष" की भी चर्चाएं हुई, पर ध्यान और चिन्ता किसी को नहीं हुई (?)। हालांकि १९८० सालों ही में अनुदान राशि कम होती गयी, २५% की कमी को क्षेत्र के कर्मचारियों ने क्षेत्र में पंच सूत्रीय कार्य में सहयोग देते घटी कुछ हद तक पूरी की, किस अंचल या डायोसीस पदधारी इस पर कोई कार्य योजना बनायी,—बनायी फिर तो "हम ही लोगों की घटी है" कहते हुए राज्यवृद्धि, मिशन पर्व व महोपवास साप्ताहिक गिर्जा धन्यवाद दान आदि को अपने ही खर्च में लगा दिया।

अभी (१९९८) से तो अनुदान कार्य के बजेट ही में २०% कट हो गया—दूसरी ओर कलीसिया वेतन भी बढ़ गया, अनुदान में ५०% प्रतिशत का घटा बढ़ गया—यह तो सारे विश्व की ही आर्थिक परिस्थितियाँ है, रुपैये का अवमूल्यन हो गया—इस घाटा को कौन और कैसे भरें,—लोग कहने लग गये हैं, "माँगा जाय केन्द्र से",— "गोस्सनर मिशन" से, और हमें तो घटी ही है— जोभी बचन सुनते है" यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी (भ० सं० २३:१) "भली वस्तु की घटी न होगी (भ०सं० ३४:१०); ऐसा विश्वास और काम किसका है ? सुसमाचार के महत्व को अपने लिए और दूसरों के लिए व सभों के लिये समझना कठिन दिखता है, क्योंकि लोग अपने को ख्रिस्तान कहना ही यथेष्ट समझते है, इसी लिये सुसमाचार के लिए भी हाथ जोड़ना और मुट्ठी खोलना को आवश्यक नहीं समझते हैं। इसलिये तो जर्मन लोग ही जवाबदेह हैं ?

हमारी गोस्सनर कलीसिया के अनेक सदस्य भी हैं, जो, सुसमाचार कार्य को आवश्यक समझते हैं तथा अपना आर्थिक सहयोग देते आ रहे हैं,—अभी एच० आर० डी० सी० द्वारा अभियान "सुसमाचार दिवस" को मनाने के द्वारा तो धन्यवाद और प्रार्थना को सार्थक बनाने लग गये हैं— कि सुसमाचार हमारे पास आया है और हमारे द्वारा आगे भी जारी रहेगा। देश विदेश के सहयोगियों को सभों को बहुत-बहुत धन्यवाद !

VII सुसमाचार कार्य क्षेत्रों से रिपोर्ट :

इस अर्द्ध वर्ष (२००२) में क्षेत्रों का रिपोर्ट कई तरह से मालूम हुआ,— (१) जनवरी २४-२७ को विचारगोष्ठी के समय मूल्यांकन (२००१) के लिये पंच सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत (२) जनवरी-मई माह तक के दौरा कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ देखे व सुने कार्य एवं (३) ग्रीष्म-कालीन (मई २२-२८) शिक्षा शिविर के क्रम में विभिन्न कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया रिपोर्ट जो पंच सूत्रीय कार्यक्रम के माइक्रो (सूक्ष्म) रूप में वर्णित कार्य विन्दुओं के आधार।

इन कार्य कलापों को विश्लेषण करने और ध्यान करने से ऐसा दिखता है, कि एच० आर० डी० सी० की ओर से विभिन्न प्रयास और उपायों के बावजूद क्षेत्र के कामों में कोई खास प्रगति नहीं हुई, कुछ यदि हुई है, तो मात्र संख्यात्मक, गुणात्मक नहीं कर्मचारी पारम्परिक कुछ काम अपनी बिना कोई योजना के काम करने सा दिखाते हैं, काम के लिए न कोई लक्ष्य दिखता है और न उद्देश्य : उनका समर्पण विश्वस्तता इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है, कि कितने तो अपने कार्य स्थल ही में नहीं रहते हैं,—वे कथित, स्थायी या स्वपालित या पुरानी (४० वर्ष से अधिक) मण्डली या पेरिश केन्द्र के नजदीक या उसके दायरे ही में रह कर काम कर रहे हैं : नियुक्ति में भी काम और क्षेत्र की आवश्यकता नहीं पर कर्मचारी को रोजगार देने के लिए ही, कर्मचारी के लिए न कोई रूचि है और न कोई योजना है,—रुपैया मिलेगा इसलिए नियुक्त कर दिया।

रिपोर्ट में विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन बड़ी कुशलता से करते हुए सा दिखते हैं, पर ऐसी स्थिति में वे स्वयं क्या काम करते हैं और क्या प्रभाव हुआ इसकी चर्चा या जानकारी नहीं देते हैं, अनेक कर्मचारी तो कई वर्ष हो जान पर भी दो पंक्ति का भी रिपोर्ट नहीं देते हैं : सुपभाइजर या बी० ई० डी० / डायोसीस इस पर क्या सोचते हैं और कुछ करते हैं सो भी पता नहीं – उन्हें तो कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं, निजी का भी मालूम नहीं जिनके कारण अनेक कर्मचारियों के बीच ही मनमुटाव बढ़ते जा रहे हैं,— "क्षेत्र बिगड़ते जा रहे हैं",— "शिक्षा के अन्तर्गत काम किया जा रहा है" पर अल्प शिक्षित बढ़ते जा रहे हैं— इनके लिये कोई योजना है, पलायन भी करते जा रहे हैं,—पर "समस्या है" कहने के अलावा कोई योजना नहीं,— "नशा पान निषेध चलाते है" का रिपोर्ट है, पर नशापान तो बढ़ते जा रहा है, यहाँ तक कि कर्मचारी ही ऐसा "आदर्श देने को अपना गर्व समझते हैं ··· ··· अधिक वर्षों की मण्डली हो जाने पर आत्मिक सामाजिक/आर्थिक/नैतिक दृढ़ता नहीं दिखती,—कम से कम स्वपालित घोषित की स्थितियों को देखने से अभी नयी मण्डलियों का भविष्य भी ऐसा लगता है, "मिशन का माल दरिया में डाल" जो बहुत सारे अच्छे प्रभाव लोगों में है वे निजी, मण्डली और परिवार तक सीमित लगते हैं, जब पूरी कलोसिया को सोचते हैं तब तो पता नहीं है ओटोनोमी की आशोप और जवाबदेही क्या है : जब सुसमाचार कार्य क्षेत्र ही में राज्य-वृद्धि या "सुसमाचार दिवस" को विशेषता नहीं दे सकते हैं, तब कहाँ ऐसी आशा करें ? सुपरभाइजर लोगों के लिए आवश्यक और उचित लगता है कि वे न केवल "वेतन भुगतान" के लिए जवाबदेह हैं, डायोसीस / बी० ई० डी० एवं एच० आर० डी० सी० के साथ भी सहयोग और समन्वय करें, व्यावहारिक, एवं प्रशासनिक केवल नहीं पर आर्थिक मुद्दों को लेकर भी विशेष ध्यान दे, ताकि किसी

भी परिस्थिति आ जाय तो कहने न लग जायं "हम क्या करें" ? या रुपैया ही नहीं मिलता है, तो क्या या कैसे काम करें ?" फादर गोस्सनर का यह विश्वास कथन का क्या प्रभाव है; "क्रिस्तान हैं तो मिश्नरी भी हैं",—"जिस दिन मिश्नरी होने से रूक जाते हैं, तब क्रिस्तान भी नहीं हैं"।

टिप्पणी एवं सिफारिशें

बड़े आनन्द का सुसमाचार सब लोगों के लिए है, इस का मूल रूप है : परमेश्वर से मेल-मिलाप, इस से प्रभावित होकर पदधारी (राजदूत) हो जाते हैं और लोगों से निवेदन करने के जवाबदेह हो जाते हैं, कि वे भी परमेश्वर से मेल-मिलाप कर लें (लूका २:१०, २ कुरि. १७-२०),—आप भी पदधारी बनें।

"गोस्सनर क्रिस्तान" या "ओटोनोमस गोस्सनर कलीसिया" का सदस्य कहलाना और होना गौरव की बात है,— (अस्तित्व एवं अधिकार की बात भी), पर वैसा स्वभाव और काम की जबावदेही भी लेते हैं ? ओटोनोमस के "तृस्तम्भ" (स्वयं शासन, स्वयं पालन और स्वयं सुसमाचार प्रसारण) है, मजबूती एवं स्थिरता के लिए किसी एक या दो स्तम्भ पर अपनी को मजबूत कहना यथेष्ट नहीं, आप भी तीनों स्तम्भ को ही लेकर मजबूत बनने की चिन्ता / विचार बात और काम करें।

सुसमाचार कार्य की अनिवार्यता (?)

(धर्मशास्त्रीय / सैद्धान्तिक व्यावहारिक विश्लेषण)

ख्रिस्त के पुनरागमन (पारुजिया), — "... विचार करने को फिर आयगा", का विश्वास मनोभावना नहीं, पर ग्रहण किया जाना, त्याग और समर्पण का द्योतक है', सब समय की प्रामाणिकता अनेक में एक है, अवश्य है, कि सुसमाचार सब लोगों तक (= सब जातियों तक) पहुँचाया जाय (मार्क १३:१०, मत्ती २४:१४)। ऐसी सच्चाई के होते हुए भी, ख्रिस्त विश्वासी होते हुए भी, बहुत "ख्रिस्तानों" और "गोस्सनर ख्रिस्तानों" के लिये सुसमाचार कार्य,—उपदेश की अनिवार्यता (आवश्यकता =, डेई एस्ट) को सोचना/विचारना, बात और काम करना समझ से परे मानते हैं : ख्रिस्तान होना, "कहलाना" मानते हैं, पर "सुसमाचार कार्य" के लिए जवाबदेह नहीं है। 'ख्रिस्तान होने", अपने "मिशन होने" को लोग "रीति-विधि" एवं परम्परा के कुछ बिन्दुओं तक ही सीमित समझते हैं, जैसे ?—

कुछ अन्य ख्रिस्तान लोग हैं, जो ख्रिस्तीय सुसमाचार के गुढ़ और वृहत सर्वव्यापी और सर्वसमाविष्ट (व्यक्ति, समय, जगह सहित) के जो रहस्य एवं आशीष हैं, न समझने की कोशिश करते हैं, और न समझना चाहते हैं, इसलिये "सुसमाचार कार्य" के कार्यान्वियन के लिए न कुछ परवाह करते हैं, और न अपने को जवाबदेह समझते हैं : उनका विश्वास [युगान्त या पारुजिया को लेकर] भी मात्र कुछ बिन्दुओं को मानना ही है, उसको ग्रहण करना और उसके लिए त्याग करते हुए समर्पण करने का कोई अर्थ नहीं रखते हैं। यहाँ तक भी है, कि सुसमाचार कार्य से परे रहने में ही अपने को चतुर समझते हैं और "सुसमाचार कार्य" को रुढ़िवादी और दकियानुसी ही करार देते हैं,—कहते हैं "सुसमाचार कार्य" से दूसरे के समाज और धर्म/संस्कृति को क्यों नष्ट करें (?)" सब धर्म बराबर हैं (?)। "सुसमाचार" के आधार, सार और सामर्थ के रहस्य और आशीष की ही समझ नहीं है (रोमि १:१६, १ कुरि० १ : १५-१८, १ कुरि० ९ : १६ मिलाएं प्रेरित ११ : २६)। यह शर्म की बात है या उदासीनता की, सुसमाचार कार्य के प्रति गोस्सनर कलीसिया में ओटोनोमी के त्रिस्तम्भ (स्वशासन, स्वपालन एवं स्व-सुसमाचार प्रसारण) को कोई महत्व दिये बिना "सुसमाचार कार्य" के प्रति पूर्ण रूप से अपनी उदासीनता या विरक्ति को ऐसा उजागर कर दिया है, कि किसी भी प्रशासनिक इकाई में इसके लिए कोई अपनी नियमित न कार्य योजना है और न कोई बजेट है, न कहीं इस कार्य के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण और न कोई ऐसा नबुवतीय (प्रोफेटिक) उपदेश है ! कुछ पारम्परिक सेवा (रीति विधि), बलिदान आदि की कार्यवाही को यथेष्ट समझते हैं !!

यहाँ कुछ बिन्दु रेखांकित किए जाते हैं, कि ख्रिस्तान और विशेष कर "गोस्सनर ख्रिस्तान" होने की आशीष, अधिकार एवं जवाबदेही पर विचार करें और काम भी करें,—ऐसा उपदेश सुनें और सुनवायें !

१ सुसमाचार क्या है ?

आप अपनी (समझ की) भाषा में क्या कुछ समझते हैं ? सुसमाचार = शुभ-सन्देश /सुवार्ता/ शुभोवाणी = ओयगेअंलियोन = गोस्पेल = गुड-स्पेल / गुड टाइडिंग्स = सुकु कजि = अन्थन दब कथा = सुःखो कयोम आदि, यह किनके लिए शुभ/आनन्ददायक /सुख दायक समाचार है ? कहाँ / किस जगह सुख/अच्छा पहुँचाता है ? कान में ? दिल में या दिमाग में या पेट में अच्छा लगता है ?

मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्ति और जीवन में,—जीवन और स्वभाव में और सारे जगत के सब लोगों के लिए,—यह तो परमेश्वर की आशीष, इच्छा और अनुग्रह है ।

"धर्मशास्त्र में सुसमाचार"/"शुभ सन्देश" लड़ाई में विजय होने के सन्देश को "शुभ-सन्देश" कहा गया है : "हम जीत गये हैं" कहने से न केवल कान में अच्छा लगा, पर पुनर्वास और नये जन्म का और नये जीवन का आनन्द भी जगा, - हार जाने से तो वैरियों / विरोधियों के हाथ से विनाश होना ही निश्चित था (२ शमु० १८, देखें पद २८) । अतः क्षणिक या अन्तरिक आनन्द की ही बात नहीं, पर पूर्ण अस्तित्व और जीवन का आनन्द है दैनिक सामाजिक जीवन की ओर भरपूरी की ओर संकेत है, भावुकता तक सीमित नहीं है !

यीशु ख्रिस्त ने मनुष्य के भरपूरी जीवन की सार्थकता के लिए अपने जीवन काल में ऐसी ही सेवा दी : सामाजिक एवं आत्मिक, उसकी "त्रिविध सेवा" के रहस्य को समझें या साथ ही उसकी "सेवा घोषणा" "(नाजरेथ मेनीफेस्टो)", पर गौर करें (लूका ४:१८-१९ मिलाएं यशा ६१।१-३) । ख्रिस्त प्रभु ने अपने क्रूश दुःख, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सब लोगों को शान्ति / आशीष के लिए इकट्ठा करने को सम्पन्न कर दिया है (उत्प० १२ : १-३, लूक २ : १० देखें यूहन्ना १२:३२) । उसने विजय पाते हुए हम लोगों को (ख्रिस्तानों को ?) विजयी बना दिया है, न केवल सदा आनन्दित रहने के लिए, पर प्रभु के काम में सदा आगे बढ़ते जाने के लिए (१ कुरि० १५:५५-५८ मिलाएं फिलि० ४ : ४) : इस प्रकार सुसमाचार का आधार, सार और उद्देश्य ख्रिस्त है, जिसमें परमेश्वर न केवल "नयी सृष्टि" को जारी करता है, पर "मेल-मिलाप" (रिकॉन्सिलिएशन) को स्थापित करता है और इसको जारी रखने के लिए मेल-मिलाप कराये हुओं को "राजदूत" का पद देता है । यह न केवल बड़ा पर विशिष्ट पद है, इसको पैसा / वेतन या प्रतिष्ठा से नहीं, पर इसके "कार्य फल" से मूल्यांकन किया जा सकता है (इफि० ४:११-१३) । हम कैसा बढ़ रहे हैं, संख्यात्मक या गुणात्मक ।

२ सुसमाचार कार्य क्या है ?

बोल चाल की भाषा या कहें धर्मशास्त्रीय शब्द व्यवहार समय, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति आदि को सप्रसंग में लेकर भिन्न-भिन्न तरह से कहा गया, जिनका मुख्य उद्देश्य है, "सुसमाचार" सब समय, सब जगह, सब लोगों के लिए पहुँचाया जाय । वह घोषणा कर उपदेश देकर, जवाब देकर, साक्षी देकर, प्रसार कर, प्रचार कर पहुँचाया गया और सुसमाचार ग्रहण किये जाने के लिए कार्यान्वयन किया जाय,—सुसमाचार को कार्यरूप दिया जाय । यह तो ख्रिस्त प्रभु के सुसमाचार सुनाने/उपदेश देने के कार्य और सुसमाचार के कार्यान्वयन से ही दिखता है । यह "सुसमाचारीय-करण" (गोस्पल वर्क है), जिनको भक्तों और बुद्धिमानों ने "त्रिविद्ध सेवा" का नाम दिया,— "उपदेश, शिक्षा और

चंगाई", ये एक दूसरे से जुड़े हुए है : "आत्मिक और सामाजिक सेवा" के रूप में भी इनको समझा जाता है। ख्रिस्त ने ऐसा करने की आज्ञा भी दी (मत्ती १० : ७+८) प्रेरितों और चेलों ने,—ख्रिस्तानों ने ऐसा ही किया। इसके लिए "मिशनरी" होना = भेजे जाने और भेजने की प्रक्रिया में बना रहना आवश्यक है : ख्रिस्त में, ख्रिस्त की मण्डली के साथ और ख्रिस्त के दिये हुए पवित्र-आत्मा के साथ बना रहता है, तब ही फल ला सकते है (यूहन्ना १५ : १-१५ फल लाना है, महिमा पहुँचाना है, मिलाएं मत्ती ५:१५-१६)। ऐसा नहीं करने से सुखी डाली की नाई, बिना, नमकीन या नमक बिनाश किया जाता है (यूहन्ना १५ : १-५, मत्ती ५ : १३)।

३ सुसमाचार कार्य क्यों ?

इसका प्रत्युत्तर परमेश्वर की इच्छा, शक्ति एवं प्रेम में निहित है : उत्पत्ति (सृष्टि) के आरम्भ से सृष्टि शिरोमणि मनुष्य सहित पूर्ण सृष्टि के उद्धार तक यह दर्शाया गया है, कि परमेश्वर की महिमा तक यह दर्शाया गया है, कि परमेश्वर की महिमा हो (भ० सं० ८६ : ९, यशा० ४३:७, प्रका० २१ : ११)।

(i) परमेश्वर के सर्व-अनुग्रहकारी एवं सर्व-उद्धार-कार्य योजना में सारे कुल के सब लोगों के लिये आशीष की घोषणा है (उत्प० १२ : १-३)। यही ख्रिस्त के जन्म के साथ हो "सुसमाचार" "सब लोगों" के लिए हो जाने की घोषणा की जाती है, और कार्यवाही के लिए ऐसा काम अर्थात् सुसमाचार-कार्य की आज्ञा दी जाती है (मार्क १६:१५)। ऐसी योजना की घोषणा भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रकट एवं जीवित की जाती रही (यशा० ६६ : १८, मिलाएं यूहन्ना ११:५५-५७, यूहन्ना १२:३२)। परमेश्वर की सर्वसमाविष्ट इच्छा कार्य योजना है : उसी की "इच्छानुसार तो चलना है" (मत्ती ७ : २१ देखें १ तिमो० २:४)।

(ii) परमेश्वर सर्व-अनुग्रहकारी है और सर्वशक्तिमान है,—सब के लिए और सब ही परमेश्वर की संगति / प्रेम / महिमा से चूक गये हैं,—भटक गये हैं (भ० सं० १४ रोमि० ५:१२)। अत: मेल-मिलाप (रिकॉन्सिलियेशन) की आवश्यकता है, यह ख्रिस्त में परमेश्वर की ओर से सम्भव है, अत: परमेश्वर की प्रसन्नता के वर्ष की घोषणा करना है : "राजदूत" का काम करना है (लूक ४ : १९, २ कुरि० ५ : २०)।

(iii) ख्रिस्तीय ईश्वर आराधना ख्रिस्त के पुनरुत्थान-आनन्द घोषणा का ही एक विशेष रूप है, जिसमें आनन्द भय, संगति, प्रार्थना एवं ख्रिस्त की देह की उन्नति /बढ़ती की साक्षी दी जाती है (प्रेरित २ : ४२-४७, यूहन्ना २०:१९-२८)। इसी आनन्द-उत्सव एवं जलसा के क्रम में यहुदियों की रीति की नाई (?) "हल्लेलूयाह' गान भी होने लगा, आज की हमारी आराधना का पुराना या बिगड़ा रूप भी ऐसा ही है। "हल्ले-लू-याह" बड़े आनन्द विभोर एवं भावुकता का रूप है, कई लोग तो एक ही आराधना के क्रम में सैकड़ों बार कह डालते हैं,—महोपवास काल को छोड़कर (?), पर ऐसा काम भी करते हैं ? "हल्लेल" = गीत, 'लू' = गाओ, "याह" = प्रभु/यहोवा का। इब्रानी भाषा में यहोवा की महिमा गीत के लिए आह्वान है, जिसके विषय सुना ही नहीं, जाना ही नहीं तो विश्वास कैसे करेगा, और गायगा कैसे (रोमि १०।११-१५) अत: आराधना के क्रम में इस गान

के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को पहुँचानें / "सुसमाचार कार्य" की भी आवश्यकता है, ऐसा गानें वाला की जवाबदेही भी है।

(iv) आराधना में प्रार्थना का विशेष महत्व है,—यीशु ख्रिस्त ने भी सिखाया और आज्ञा / प्रोत्साहन दिया! अनेकों "ख्रिस्तानों", —"गोस्सनर ख्रिस्तानों" ने इसका खूब व्यवहार किया और "हे प्रभु", "हे प्रभु" की रट ही लगा दी, लाभ भी मिला। "क्षणिक चंगाई" भी मिली, पर "पूर्ण चंगाई" को तो कमी ही दिखती है : परमेश्वर पिता की इच्छा पर तो नहीं चलते हैं, इसी से यीशु को ऐसा कहना पड़ा, कि परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले हों (मती ७ :२१)। परमेश्वर की इच्छा क्या है ? "तेरी इच्छा पूरी हो"—आप से ही बिना मांगे प्रभु की इच्छा पूरी होती है, पर वह हमारे बीच/हमारे द्वारा भी पूरी हो। १तिमो० २:४ कहता है "वह चाहता है, कि सब लोग उद्धार पायें, वैसा काम भी तो करना है।

(v) आराधना, जिसमें किसी प्रकार का हेर-फेर करने के लिए कई "गोस्सनर ख्रिस्तान" तैयार नहीं हैं, वचन और सक्रामेन्ट (परमेश्वर के अनुग्रह के साधन स्वरुप) का विशेष महत्व रखती है : लोग कितना गम्भीर और भावुक हो कर वचन सुनते हैं : गम्भीर, अच्छी शैली की भाषा में ही उपदेश होते हैं। और सक्रामेन्ट में भाग लेते हैं। — हालांकि कोई-कोई आराधना के बीच से भी चले जाते हैं —इसके साथ सुसमाचार की विशेषता होती है, इसको छोड़ जाते हैं, प्रभुभोज आराधना में जो भरपूरी की आशीष मिली है, उसका धन्यवाद का हमारे यहाँ क्या कार्य रुप है ? "यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी" (भ० सं० २३) : यह धन्यवाद का विशेष भरोसा-उद्गार है, पर सुसमाचार कार्य के लिये आर्थिक सहयोग की बात आती है, बजेट की बात होती हैं, तब तो कुढ़ते हुए कहते हैं, "हमारी ही तो घटी है" कैसे कुछ करें ? सुसमाचार कार्य " के लिए सुसमाचार दिवस ", " राज्य वृद्धि " या " मिशन पर्व " के लिए धन्यवाद दान इकट्ठे किए हुए में से भी कुछ अन्य खर्च (वेतन) में लगा लेते, उस समय यह भ० सं० २३:१ या ३४:१०, या मती ६:३३ या यूहन्ना १०:१० की प्रतिज्ञा कहां है ? 'यहोवा चरवाहा है,' या "यहोवा को खोजते हैं " तौभी थोड़ी-थोड़ी घटी होती है " वचन की समझ और उपदेश है ?

(vi) ख्रिस्तान को कलीसिया की संगति में ख्रिस्त के विषय उपदेश तो देते रहना है (प्रेरित ११:२६), पर प्रतिदिन ख्रिस्त के पीछे चलना है, यहाँ त्याग और समर्पण की आवश्यकता है, " सुविधा के अनुसार ही अनुसरण करना है, " ऐसी बात नहीं है, " पूर्ण समर्पित जीवन " में जीना है, अपने लिए केवल नहीं, पर दूसरों के लिए, बहुतों के लिए वरन् सब के लिए ", " सच्चा जल " ग्रहण करने वाले में वह जल उमड़ता हुआ सोता बन जायगा (यूहन्ना ४:१४, देखें यूहन्ना ७:३७ + ३८), दूसरों तक पहुँचने और पहुँचाने की सम्भावना और आवश्यकता की ओर संकेत है।

(vii) ख्रिस्त की शिष्यता :—ख्रिस्तान होने वाले को, उसके पीछे चलने वाले को इतनी बड़ी आशीष मिलती है, कि वह दूसरों को सब को, आशीष पहुंचा देता है ? ख्रिस्त-ज्योति के पीछे चलने वाला ज्योति पाता है, जीवन पाता है और स्वयं ज्योति बन जाता है, "जगत की ज्योति" (यूह. ८:१२, मती ५:१४-१५-१६), अतः ज्योति की सन्तान की नाईं चाल-चलना है, दूसरों को ज्योति देना है,

यह तो ख्रिस्तानों की आशीष और जवाबदेही है (इफि० ५:८-१६); बहुत से ख्रिस्तान कहलाते हुए भी मरे हुए हैं ? जैसे आदम और हवा पाप करने से परमेश्वर से अलग हो गये) अतः मुर्दों में से जागना और उठना है - आत्मिक जागृति की बात है (इफि० ५:१४), पर ज्योति कहाँ देते हैं ? चूँकि ख्रिस्त से ज्योतिर्मय किये ही नहीं गये है,— जागे हैं, पर उठे नहीं हैं, ज्योति/दिया को जलाये पर खाट के नीचे ही रखें गये हैं —दीवट पर नहीं ? " उचित जगह " में रखें जाये तब ही अन्दर में रहने वालों को, सबको ज्योति मिलेगी, पर अन्दर आने वालों को भी, जो अब तक बाहर ही हैं यह सुसमाचार की ज्योति की ओर संकेत हैं ? ज्योति मिलती है,— ज्योति को ऐसे उचित स्थान मे रखने की तैयार और योजना भी है, कि सब को ज्योति मिले,—जीवन मिले ।

(vii) ख्रिस्तीय-सिद्धान्त/विश्वास में युगान्त (एस्खाटोलोजी) का विशेष स्थान है, हालांकि अनेक ख्रिस्तान इससे गम्भीर नहीं लेते हैं,—ख्रिस्तान हो कर समझते हैं, कि युग के अन्त में तो स्वर्ग जायेंगे —विश्वास वाक्य में दुहराते " .....न्याय करने को फिर आयगा ",—हम ख्रिस्तान स्वर्ग जायेंगे ही । उत्पति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की घटनाओं में " परमेश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम" की चर्चा हैं, ख्रिस्तान भी इन पर ध्यान करे, क्योंकि न्यायी के सामने खड़े हो सकने के लिए यह एक विशेष स्थिति है (मती २५:३१-४६) ? इन सब के पहले तो सुसमाचार का " सब लोगों " के लिए सुनाया जाना आवश्यक है (मती २४:१४, मिलाएं मार्क १३:१०, १६:१५) ।

(viii) ख्रिस्तान लोग परमेश्वर के वरदानों के भंडारी हैं और भंडार में वैसे बहुत प्रकार के धन हैं, जिनसे लेन देन करने में विश्वास योग्य ठहरना है : " सुसमाचार का धन " भी दिया गया, उनसे भी उचित ढंग से लेन देन करनी है, कि लोगों को ऐसा धन मिल जाय, जिससे सारी भूख मिट जाय; — " निर्धन सा दिखते हैं, बहुतों को धनी बना देते हैं " (२कुरि० ६:९-१०) । यह सब कुछ ज्योति देने में (मती ५:१६) विश्वस्त/भले भंडारी के काम में (१ पतरस ४:१०) एवं किसी भी पदधारी के काम करने का उद्देश्य और ख्रिस्त की देह की उन्नति (बढ़ती) में " सेवा " होना आवश्यक है (मिलाएं १कुरि० ४:१-४), इसी में परमेश्वर की महिमा है ।

४ सुसमाचार कार्य कैसे करें ?

यहां " बड़े आनन्द के समाचार " को कार्यान्वित करने के तरीके और उपयोग/साधन के सूक्ष्म सिद्धान्त की बात नहीं, पर ख्रिस्तानों का इसमें सैद्धान्तिक और व्यावहारिक सक्रियता और सहयोग की बात है, कि " सारे जगत के सब लोगों को आशीष मिले ", — परमेश्वर की "उद्धार योजना" पूर्ण हो जाय (उत्पति १२:१-३) । " भेजे जाने " और भेजने " की प्रक्रिया (मिशन/मिशनरी) को सक्रिय और कार्यान्वित होने देने में नहीं चूकना है, भेजे हुए लोग, पवित्रात्मा से परिपूर्ण और सामर्थ पाकर जाय (प्रेरित १:८,८:२९ मती १०:७-८,२८:१९-२० मार्क १६:१४-१५ यूह० २०:२१ प्रेरित ८:१४) । यह कार्य विश्वास / विचार, बात और काम के सहयोग से हो सकता है : " जाकर " तो सभी नहीं कर सकते हैं, पर " भेजकर " तो सहयोग सम्भव है, यहाँ व्यक्ति को ही भेजने की बात नहीं, पर आनन्द, धन्यवाद और प्रार्थना का सहयोग दे सकते हैं (प्रेरित १३:१-३ मिलाएं प्रेरित १४:२६-२८,१५:३) । "पूर्ण चंगाई पायी महिलायें" (लूका ८:१-३) और ख्रिस्त

के उद्धार से ओत प्रोत हो कर एवं "सदा आनन्दित" रहने से आश्वस्त होकर मंडली के ख्रिस्तानों ने सुसमाचार के कार्य के लिए आर्थिक सहायता/सेवा पहुँचायी (फिलि० ४:१५-१८)।

५ सुसमाचार कार्य कहां और किन लोगों के लिए ?

सर्व-अनुग्रहकारी परमेश्वर की सर्व-उद्धार योजना के आधार पर तो सुसमाचार को सब समय, सब जगह के सब लोगों के लिए कार्य करना है। अब तक गोस्सनर कलीसिया के लोग डेढ़ सौ वर्षीय जलसा मनाने के बाद भी कोई संकल्प या परियोजना तो नजर में नहीं आती है,—हालाँकि कहने में तो तनिक भी हिचक या झिझक नहीं दिखती है : "सुसमाचार सब लोगों के लिए", यह तो हम बडे गम्भीरता से वरन आनन्द और आवश्यकता से कहते और गाते भी हैं: "हल्लेलूयाह" यहोवा के लिए गीत (महिमा) गाओ", पर ऐसा लोग कर सकें, काम ? "सारे जगत," सारी सृष्टि के सब लोगों के लिए सुसमाचार पहुंचाना, आशीष पहुंचाना है (उत्पति १२.१-३, मार्क १६:१५, प्रेरित १:८) : परमेश्वर और ख्रिस्त के वचन और प्रतिज्ञा वा आज्ञा की ही समझ नहीं है या पवित्र आत्मा की सामर्थ और फल का ही पता नहीं (प्रेरित १:८ गलाति ५:२२-२३) ? ख्रिस्त यीशु में सम्पन्न परमेश्वर का सुसमाचार "सर्व समाविष्ट" है, अत: सब लोगों और सब प्रकार के लोगों के लिए पहुंचाना है, सुसमाचार को नहीं जानते हैं और ठीक से नहीं जानते, कहें उनकी अपनी परिस्थितियों के बीच कार्यान्वित करना है। सुसमाचार में सामाजिक एवं आत्मिक (सर्व समाविष्ट) आनन्द की बात है, इसलिए जहाँ और जिसके लिए ऐसी आवश्यकता है, क्षणिक केवल नहीं, पर चिरस्थायी (बड़ा) आनन्द के लिए कार्य करना है। 'रोजगार' देने, दिलाने की भी बात है, ख्रिस्त विश्वासी काम करते और रक्षा भी करते हुए चिरस्थायी आनन्द की ओर बढ़ें।

६ सुसमाचार कार्य कब तक करें ?

"पूर्ण काल", "जीवन काल" तक सुसमाचार का महत्व है, अपने लिये और दूसरों के लिए तो "पूरे काल" ही,—४० दिन और रात ही काम करें,—पूरी यात्रा में चलना है: प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना, सभों के उद्धार के लिए काम करना है, 'जब तक वह न आये उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं" (१ कुरि० ११:२६, मती २४:१४, मार्क १३:१०)। ख्रिस्त के आने और उसकी पूरी संगति प्राप्त करने तक काम करना है (देखें इफि ४: १३, १ यूहन्ना ३:२)। सुसमाचार कार्य के जारी रखने के लिये ही काम करना है, यह विशेष पद, पैसा या प्रतिष्ठा की ही बात नहीं है, यह तो ख्रिस्तान विश्वास, जीवन और काम है, परमेश्वर के साथ मिलाए जाने, मेल-मिलाप किये जाने की बात है, जहाँ यह स्वीकारात्मक है, तब राजदूत होकर करना ही है (२ कुरि० ५:१७-२०)।

७ धर्म पूर्वजों ने सुसमाचार कार्य को सम्कालीन रूप से किया

(i) डाक्टर मार्टिन लुथर ने सुसमाचार कार्य को अपने दिनों की आवश्यकता के आधार संगठनात्मक ढंग से नहीं, पर व्याख्यात्मक ढंग से जारी रखा। ख्रिस्तान लोग तत्कालीन झुठी और पारम्परिक शिक्षाओं और तदनुरुप विधि-व्यवस्थाओं से त्रस्त और ग्रस्त थे। उनके लिए परमेश्वर के अनुग्रह को पहचान तदनुरुप आचरण अपनाने की आवश्यकता थी। विश्वास की आवश्यकता थी, अत: एक ओर तो मनुष्य के पूर्ण रुप पतित / भटका हुआ होकर परमेश्वर की

दया पाना कठिन था, वह पूर्ण रूप पायी है अतः अनुग्रहकारी परमेश्वर को पाना है, —खोजना है, इसी में उसका अनुग्रह है : उसको विश्वास से ग्रहण करना, और वह "सर्व पुरोहित" की आशीष और जबाबदेही पाता है: अनुग्रह से धर्मी ठहरायें जाते हैं, तब अनुग्रह की जानकारी तो देनी है, इसमें ही सुसमाचार कार्य को आवश्यकता दिखती है। जो सुसमाचार (की सच्चाई) को ठीक से नहीं जानते हैं, उन्ही के बीच सुसमाचारीयकरण की आवश्यकता है. यह और भी साफ दिखेगा जब डा० मार्टिन लूथर के सुसमाचारीय विषय की समझ बढ़ने पायेगी। अतः आवश्यक है, कि सुसमाचार कार्य को व्यावहारिक रुप देने के पहले काम के सैद्धान्तिक रुप को भी मजबूत करना है। "लूथरन" कहा कर इस पर भी जोर देना है !!

(ii) फा० योहान्नेस एवंजेलिस्ता गोस्सनर और सुसमाचार कार्य

फा० गोस्सनर का उपनाम "एवंजेलिस्ता" (सुसमाचारक) ही उसके नाम, स्वभाव और जीवन स्वरुप को दिखाता है। वह पूर्ण से सुसमाचारक ही था और उसकी जीवन शैली ही सुसमाचारीय रही। उसकी शिक्षा और काम सुसमाचारीय होने के कारण ही उसको मठवासी जीवन काल में "मठ सुधार बन्दीगृह" का कष्ट सहना पड़ा और अन्ततः तो औग्सबुर्ग से पिटर्सबुर्ग भागना पड़ा; पर वहाँ से भी जर्मनी की ओर भागना पड़ा,—उसके "सुसमाचारीय उपदेश" से ईर्ष्या की ही बढ़ती हुई, फल स्वरुप उसको भागना ही पड़ा, भागते-भागते वह बर्लिन पहुंचा, जहाँ उसको 'एवंजेलिकल" "सुसमाचारीय" प्रमाणित करने के लिये अनेक काम करने पड़े —थेओलोजीकल परीक्षा भी देनी पड़ी, अन्ततः वह एवंजेलिकल या कहें प्रोटेस्टैन्ट/लुथरन पुरोहित/पादो के लिए स्वीकार किये गये। मंडली का काम करते हुए अपने विश्वास और सिद्धान्त के अनुसार "सुसमाचारीय प्रवचन" सुसमाचारीय समूह (मंडली) के लिए जारी रखा। ऐसे ही "संगति समूह" में बच्चों के पथिपोषण के लिए विशेष अभियान चलाया और "बाल धर्म शिक्षा-शिक्षण-प्रशिक्षण" की स्थापना की और बीसवीं सदी तक चलाया जाता रहा, इसी प्रकार "रोगी सेवा" के लिए भी झुंड बनाया और आगे चल कर रोगी सेविका/प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हुई, जो आज तक जारी है; एक ओर तो "सुसमाचार प्रवचन"—"सुसमाचार कार्य" घोषणा के द्वारा, पर इसी को कार्यान्वित करने के लिए सामाजिक जीवन की जवाबदेहियों के लिये जागरुक था—"सुसमाचार कार्य" की 'सर्व समाविष्ट" समझ और आवश्यकता को भी कार्य रूप देने का प्रयास और उपाय किया,—इसके लिए विद्वतापूर्ण शिक्षण-प्रशिक्षण की उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी कि सुसमाचार के लिए त्याग और समर्पण के लिए है, जो ऐसा ख्रिस्तान है वही मिश्नरी अर्थात भेजा हुआ एवं भेजने की प्रक्रिया में सक्रिय समझा जायगा, "जिस दिन हम मिश्नरी नहीं, हैं", उसी दिन हम ख्रिस्तान नहीं है। फा० गोस्सनर ही ऐसा ख्रिस्तान था, जो पाँचों महादेशों में सुसमाचारकों/मिश्नरियों को भेजा : वह सुसमाचार के सर्वसमाविष्ट समझ के आधार पर मिश्नरियों को भेजा; "गोस्सनर कलीसिया" को आरम्भ करने में एक मिश्नरी ही अभिषिक्त था अन्य तो, सामाजिक जीवन को आनन्द पहुंचाने के लिए काम करने वाले थे; 'गोस्सनर मिशन" भविष्य में भी आत्मिक सेवा के साथ सामाजिक सेवा के लिए मिश्नरियों को भेजा। आज ?

(iii) ओटोनोमस गोस्सनर कलीसिया का सुसमाचार कार्य

गोस्सनर कलीसिया के तत्कालीन धर्म पूर्वजों या विश्वास पितरों को "बहुमूल्य लुथरन

विश्वास" की रक्षा को ओटोनोमी घोषणा का आधार और उद्देश्य दर्शाया है,–यह "लुथरन विश्वास" क्या है, हमारे पद धारी और उपदेशक आज कलोसिया के लिये क्या और कैसा महत्व देते हैं ?

विश्वास पितरों को "लुथरन विश्वास" की ही चिन्ता नहीं थी, पर कलोसिया के लोगों के लिए सामाजिक और आत्मिक वास्तविक भविष्य कैसे चलाया जाय ? १९१६ ई० के मार्च २०-२१ की सभा में समस्या और समाधान पर विचार विमर्श करते हुए कलोसिया की स्थिरता और मजबूती के लिए "त्रिस्तम्भ" [यह लेखक का अपना शब्द है] को ठीक रखना है, जारी रखना है : स्वशासन, स्वपालन और स्वयं सुसमाचार प्रसारण। ओटोनोमी घोषणा में शिक्षा एवं जायदाद सम्बन्धी विशेष चर्चाएं हैं। इन्हें आज "गोस्सनर ख्रिस्तान" कैसे समझते हैं, "स्वशासन" और "स्वपालन" तो आवश्यक है, पर इसका लक्ष्य है "स्वयं सुसमाचार प्रसारण", आज तक तो पदधारी और "गोस्सनर ख्रिस्तान" मानते और कहते हैं : दूसरों से रुपैया मिलेगा तब तो "सुसमाचार कार्य करेंगे",—हम तो घटी ही घटी में हैं। भ०स० २३ : १, भ०स० ३४ : १०, यूहन्ना १० : १० या मत्ती ६ : ३३ को जानते और समझते हुए फा० गोस्सनर ने क्या समझा और क्या किया ? कुछ या वेतन देने के लिए भी नहीं था, तौभी भेजे जाने और भेजने की प्रक्रिया में बना रहा, कि सुसमाचार सब जगह के सब लोगों के लिए पहुंचाया जाय, हम लोगों तक भी पहुंचाए, हम में और हमारे द्वारा जारी हैं !

(iv) पंच सूत्रीय कार्य क्रम और सुसमाचार कार्य

यह गोस्सनर कलोसिया की विशिष्टता और विशेषता है, कि बड़ी नाजुक स्थिति में सुसमाचार कार्य को जारी रखने का अपने जबाबदेही समझी गयी, यह पूरी कलोसिया की कार्य-योजना नहीं, पर ख्रिस्तानों के विश्वास की व्यावहारिकता के कारण, भले यह परम्परा का ही रूप क्यों न हुआ ! यह इतिहास के गुजरने में अनेक विश्वास मित्रों एवं सहयोगियों ने अपना भरपूर साथ दिया।

इस प्रकार के सुसमाचार कार्य में न केवल सुसमाचारीय-उपदेश के थे, पर लोगों को सामाजिक क्षेत्र में लाभ और अगुवाई देने के उपाय और प्रयास हुए : शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आवश्यक एवं सम्भव प्रयास और उपाय किये गये ! १९८० सालों में वचन-प्रवचन की विशेषता के साथ ख्रिस्त की त्रिविध सेवा की "घोषणा" और सेवा के रूप में पंच सूत्रीय कार्य क्रम (पं०सू० का०)" को सुनियोजित ढंग से करने की कार्य योजना बनी, इसके द्वारा उन सभी व्यक्तियों, परिवार, मंडलियों एवं क्षेत्रों को विशेष लाभ पहुंचा, जो पं०सू०का० को सुसमाचार-कार्य के सामाजिक एवं आत्मिक सेवा (सर्वसमाविष्ट सेवा) पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह आज की बदलती एवं बिगड़ती विभिन्न परिस्थितियों को पहचानते और विश्लेषण करते हुए ऐसा कुछ करने का दर्शन देखा गया, कि आज भी अशिक्षा/निरक्षरता, बीमारी/अन्ध-विश्वास, बेरोजगारी, (खेती-बारी भूतकाल ही लगती है) गरीबी; मतवालपन, धर्म - उदासीनता, कट्टरवाद (??) पलायन वाद, आधुनिक वाद, उपभोग वाद, मानव अधिकार हनन, पर्यावरण प्रदुषण, आदि जारी हैं।

(v) नये संशोधित संविधान और सुसमाचार कार्य

अब तो ७वां वर्ष चल रहा है, कि संविधान संशोधन हो "बिशप पद्धति" को अपनाया है, और आशा रही, कुछ नहीं तो "आत्मिक सेवा" पर विशेष कार्य योजना बनेंगी,— "ख्रिस्त

की त्रिविद्ध सेवा," नासरत की घोषणा एवं पं० सू० का० को भी किनारे कर दिया गया और कलीसिया के काम "सुसमाचार कार्य को सर्व समाविष्ट महत्व (?) देने के "चतुर्विध सेवा" (यह भी लेखक का अपना शब्द है) को संविधान में (III६) जगह देकर सब ही प्रशासनिक ईकाई-पदधारी एवं जवाबदेही व्यक्तियों को विशेष आशीष, अधिकार और जवाबदेही दी है; अब तक क्या कुछ हुआ है ? विभाग बने हैं, पर काम तो कुछ और ही दिखता है।

पाँच सूत्रीय कार्यक्रम के कार्य बिन्दुओं को सूक्ष्म एवं वृहत रूप देकर मानव संसधान विकास केन्द्र (एच०आर०डी०सी०) के माध्यम "सब लोगों" के लिए कार्यान्वित होगा। "केन्द्रीय संस्था" कहलाते हुए भी इसके साथ खुल कर सहयोग करने और सहायता देने से "आगे पीछे" सोचने को अपनी बहादूरी समझते हैं।

अतः "सुसमाचार कार्य" को जारी रखने के लिए "प्रयोग-स्थल" की कल्पना करते कुछ काम होने लग गये हैं; सुसमाचार कार्य के लिए आप का सहयोग क्या और कैसा होगा ? ख्रिस्तीय सुसमाचार हमारे ख्रिस्तीय विश्वास का सार आधार एव उद्देश्य है, इस लिए ख्रिस्तान कहला कर हमें सुसमाचार का कार्यान्वियन करना ही है !!

सुसमाचार कार्य के लिये विवेकीकरण एवं ऊर्जायीकरण

जब हम ख्रिस्तान परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उसका भय, प्रेम और भरोसा रखते हैं और अपने अन्तःकरण में स्थान देते हैं, तब सारे मन से, सारे जी से और सारी शक्ति से प्यार करते हैं और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करते हैं,—कि वह भी परमेश्वर को प्यार करे। यह सुसमाचार कार्य का आधार, आदर्श और उद्देश्य है।

१. परमेश्वर न केवल सर्वशक्तिमात सृजनहार है, पर अनुग्रहकारी एवं सर्व-उद्धार योजना सृष्टिकर्त्ता पिता भी है : सारे जगत को प्यार करता है (उत्प०१२:१-३, यूहन्ना ३:१६), ख्रिस्त में सब लोगों को इकट्ठा करता है (यूहन्ना १२:३२)।

२. सारी सृष्टि सहित सब लोगों का उद्धार चाहता है (१ तिमो० २:४), क्योंकि सब के सब भटक गये हैं (भ०सं० १४, रोमि० ५:१२)।

३. यह उद्धार प्रभु यीशु में सम्पन्न हो गया है : नई सृष्टि बना दिई गयी है, मेल-मिलाप हो गया है (रोमि० ५:१०, २ कुरि० ५, १७-१९)। ऐसी आशीष के साथ मेल-मिलाप किये हुओं, ख्रिस्तानों को पद दिया गया है (२ कुरि० ५:२०, देखें इफि० ४:११), कि हरएक पदधारी काम करे ··· ··· कि ख्रिस्त की देह उन्नति पाये, (मिलाएं इफि० ४:११-१३)।

४. अतः मिली हुई जवाबदेही को पूरी करते हुए अपने जीवनोद्देश्य को पूरी करनी है, यह अधिकार की बात नहीं है, पर जबाबदेही की बात है (१ यूहन्ना ३:२)।

५. यह आशीष विजय आशीष (सुसमाचार) से जुड़ी हुई है, ख्रिस्त में सुसमाचार "हम जीत गये हैं" की निश्चयता ख्रिस्त की विजय पर निहित है (१ कुरि० १५:५५-५७)।

६. अतः हम विजयी होकर प्रभु के कामों में सदा आगे बढ़ते जाएं (१ कुरि० १५:५७-५८),—मृतकों में से जाग कर उठते हुए सक्रिय हो जाना है और ख्रिस्त सक्रिय होने के लिये ऊर्जीयीकरण / ज्योतिर्मय कर देते हैं। अतः सभों को अन्दरवालों को और अन्दर आने वालों को (मत्ती ५:१५ लूका ८:१६), को ज्योतिदेना है।

७. ख्रिस्त के पीछे चलने वाले न केवल शिष्य हैं, पर ज्योति पाकर जीवन पाने वाले और ज्योति की सन्तान की नाई चलने वाले हैं,—दूसरों को धार्मिकता, सच्चाई एवं भलाई पहुंचाने वाले हैं (यूहन्ना ८:१२, देखें इफि० ५:८+९)।

८. ख्रिस्तानुगामी न केवल ख्रिस्त के पीछे चलने वाले हैं, पर कलीसिया अर्थात ख्रिस्त की देह के साथ संगति रखते हैं और ख्रिस्त के विषय लोगों के लिए उपदेश देते रहते हैं (प्रेरि० ११ : २६)।

९. ख्रिस्त की "(पूर्ण—) चंगाई" सेवा से मनुष्य, मनुष्यों और परमेश्वर के सामने प्रतिष्ठित व्यक्ति होकर यहाँ, अभी और युगान्त में खड़ा हो सकता है, (यूहन्ना ५:५-१५, देखें मत्ती २५:३१-४६)।

१०. पूर्ण चंगाई (शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सामाजिक, आर्थिक) से मनुष्य ख्रिस्त के साथ हो लेता है, साथ देता है, और सहयोग भी देता है, (लूका ८:१-३ मिलाएं फिलि० ४:१४-१९)। यह भरपूरी को प्रमाणित करता है (यूहन्ना १०:१०, भ०सं० २३:१, भ०सं० ३४ : १०)।

११. इस प्रकार के आनन्द, आशीष में मजबूत होते हुए सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ को पहचानता है (रोमि. १:१६-१७ देखें १ कुरि० १ : १५-१८) और सुसमाचार कार्य विवशता नहीं, पर निर्भयता और जीवन का मूल मानता है (१ कुरि० ९:१६), इसलिए सेवा करते हुए फल लाता है और परमेश्वर की महिमा करता है (मत्ती ५:१६ यूहन्ना १५:८ देखें भ०सं० ८६, ९, यशा० ४३:७)।

१२. अतः हमारी आराधना,—गान, प्रार्थना, धन्यवाद, हल्लेलूयाह : हमारी निजी की ही बढ़ती एवं आत्म सन्तुष्टी की बात नहीं है, पर ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए ख्रिस्त की देह की बढ़ती के लिए है (इफि० ४:११-१६, प्रेरित २:४२+४३ - ४६+४७, १ तिमो. २:४)।

जी० ई० एल० चर्च के अंतर्गत सेवकाई का आरम्भ

मैं अपने शिक्षा-प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम वर्त्तमान मध्य डायोसिस के अंतर्गत खुंटीटोली (सिमडेगा) में एक साल तक १९७४ ई० में अपना सेवा का कार्य किया। इसके बाद "विकास मैत्री" राँची में मार्च १९७५ ई० में सहायक कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्य किया। अभी वर्त्तमान में मैं जी० ई० एल० चर्च के अंतर्गत "मानव संसाधन विकास केन्द्र एवं सी० ई० एल०" में दिनांक १ मई २००२ को वर्त्तमान में सहायक डायरेटर के रूप में पद भार ग्रहण किया।

अभी मैं यहाँ के कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं परिस्थितियों को समझने का प्रयास कर रहा हूं अतः इस कार्य में रेभ० डा० सी० के० पॉल सिंह, डायरेक्टर, मेरी सहायता कर रहे हैं।

कलीसा के सभी भाई-बहनों एवं कलीसा के पदाधिकारियों से आशा करता हूं, कि वे इस कार्य में मुझे सहयोग देंगे। धन्यवाद !

कन्डीदत्त अंजोर कुल्लू

आपके विभिन्न दान जनवरी-जून (२००२) मिले धन्यवाद

1	Kalyanpur Mandli (Gospel Day's offerings) ...	Rs.	165 00
2	Mrs. L A. Kachhap (Donation)	Rs.	200 00
3	G. E L. Church, Debadih (Gospel Day's offerings) ...	Rs.	480 00
4	G. E. L. C. Parish Council, Khuntitoli) (Gospel Day's offerings)	Rs	645.00
5	G. E. L C. Amgaon (,, ,, ,,)	Rs.	156 00
6	G.E L. Church Ghagra, Santipur, Assam(, ,, ,)	Rs.	430.00
7	G. E. L. Church, Noamundi (,, ,, ,,)	Rs.	716 00
8	Miss Agatha Tirkey, CC (Donation)	Rs.	300 00
9	G, E. L. C. Khutitoli Parish Council (Gospel Day's offerings)	Rs.	233.00
10	Hd. Quarter's Congregation, Ranchi (,, ,, ,,)	Rs	4964.00
11	Govindpur Parish Council (,, ,, ,,)	Rs.	81.00
12	G. E. L. C. Karimati Parish Council (,, ,, ,,)	Rs	457.00

इस सूची से ऐसा दिखता है, कि अनेक पेरिश "सुसमाचार दिवस" मनाये नहीं, या धन्यवाद प्रार्थना-भेंट अर्पण भी किये, पर उनका केन्द्रीयकरण नहीं कर पाये या हमारे यहाँ तक नहीं पहुँचा ! यहाँ आप कितना देते हैं, इसका महत्व तो इस पर है, कि आप और आपकी पेरिश के सदस्य सुसमाचार के सार, आधार और उद्देश्य को समझते हैं ! परमेश्वर को धन्यवाद हो सुसमाचार हमारे पास, हममें पहुंचा है और प्रार्थना करें कि वह हममें और हमारे बच्चों में बना रहे और जारी किया जाय ! सभों को बहुत-बहुत धन्यवाद !

जी.ई.एल.सी. मानव संसाधन विकास केन्द्र एवं सी.ई.एल.

(जी.ई.एल. चर्च, राँची - (८३४००१)

एफ. पी. पी. एवं एच. आर. डी. सी.

का वार्षिक रिपोर्ट जनवरी - दिसम्बर २००१ ई.

सम्वाद परिचर्या (२६) ❀ निजी वितरण ❀ जनवरी - दिसम्बर २००१

डायरेक्टर का रिपोर्ट

जी.ई.एल.सी. (गोस्सनर एवंजेलिकल लुथेरन कलीसिया) ही ''मानव संसाधन विकास केन्द्र'' (एच.आर.डी.सी.), राँची पर कलीसिया का स्वामित्व (अधिकार) है और इस कारण कलीसिया की आशीष सहित जवाबदेही है। कलीसिया को इस संस्थान (केन्द्र) से सेवा तो लेना है ही, पर इसकी जवाबदेही भी है कि संस्थान को प्रशासनिक एवं आर्थिक रूप से ऐसा हो, कि इस संस्थान के द्वारा सब लोगों के आनन्द के लिये हो (लूका 2:10)।

नवम्बर 1995 से कलीसिया में नयी संशोधित नियमावली से एक नया 'विशप-पद्धति' लागू की गयी, आशा और उपाय का नया प्रकाश रहा कि सब कलीसिया में सर्वसमाविष्ट सेवा को विशेष स्थान मिलेगा। पर बिगड़ती एवं बदलती परिस्थितियों में तो ऐसा दिखता है- हो भी वैसा ही हो रहा है कि 'खिस्तीय सेवा' पारम्परिक ही बनी हुई है और इसी को अपना 'पद' और अधिकार का कार्यान्वयन समझा जाता है। अत: एच.आर.डी.सी. (ओक्टोबर 1995 में आरम्भ) से यही प्रयास रहा है कि कलीसिया में और कलीसिया के द्वारा सब लोगों को सर्वसमाविष्ट सेवा अर्थात आत्मिक और सामाजिक सेवा दी जाय। इसीलिये ''पंचसूत्रीय कार्यक्रम'' (एफ.पी.पी.) को जो 1980 से लागू किया गया, वृहत एवं गहरा कार्यरूप देकर एच.आर.डी.सी. के माध्यम सबके लिये, सब के साथ और सब के द्वारा लागू किया जाय। ऐसा दिखता और लगता है कि बहुत लोग- खिस्तान लोग भी ऐसा ही समझते हैं ऐसे ऐसे काम तो ''मिशन क्षेत्रों'' के लिए है। अत: एच.आर.डी.सी. और उसके कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पर आज खिस्तीय विश्वास, काम एवं जीवन व्यावहारिक कार्यरूप क्या है?

I. दौरा कार्यक्रम

पहले वर्षों की तरह इस वर्ष भी ''सुसमाचार कार्य क्षेत्रों'' का दौरा योजनाबद्ध ढंग से नहीं किया गया, जब नया संशोधित संविधान लागू है, विशेष सम्बन्धित डायोसिस एवं उनके विभाग बोर्ड ऑफ एवंजेलिज्म एण्ड डेवलोपमेन्ट (बी.ई.डी.) के पदधारियों ही को अपने-अपने क्षेत्रों में दौरा कार्यक्रम बनाते हुए दौरा कार्य को नियमित बनाना है, इसमें डाईरेक्टर को भी सहयोग देना है। एच.आर.डी.सी. एवं एफ.पी.पी. के कार्यक्रम के बदले रूप में 'पूरी कलीसिया' के पेरिशों को कार्यक्षेत्र बना दिया गया है, ''महिला क्षमता विकास कार्यक्रम'' सभी डायोसिस एवं ''राँची क्षमता मंडली'' को ऐसे कार्यक्रम में लिया गया है, अतः इस विषय पर ''विचार गोष्ठी'' के लिए विभिन्न पेरिशों एवं पाद्रीपन में पहुंचने के दौरा कार्यक्रम 1998 ही से बनाये जा रहे हैं, पर सुसमाचार कार्य क्षेत्रों में भी ऐसे कार्यक्रम हुए हैं।

जनवरी माह 2001 ई. में दक्षिण पश्चिमी डायोसिस के पेरिशों - कारीमाटी एवं राजगांपुर में कार्यक्रम था और फरवरी में उत्तरी पश्चिमी डायोसिस डुयर्स (पं. बंगाल - उत्तर) के पेरिशों में कम से कम चार केन्द्रों में इसी प्रकार विचार गोष्ठी एवं भाई-बहनों की मांग के अनुसार धर्म सभा भी हुए।

मध्य डायोसिस के सुसमाचार कार्य क्षेत्र में ''औचक'' भ्रमण का कार्यक्रम था, पर कर्मचारियों की अनुपस्थितियों से कोई खास काम नहीं हुए। अप्रील माह में जर्मन मेहमानों के साथ प्रचारक संगोष्ठी (एवं जलसा) के बाद गोविन्दपुर से तैमारा सुसमाचार कार्यक्षेत्रों के भ्रमण के लिये दो दिनों का कार्यक्रम था।

इसी प्रकार सितेम्बर माह से दिसम्बर माह तक द.पू., उ.प. एवं द.प. के डायोसिस के पेरिश केन्द्रों के 10 स्थानों में ऐसे कार्यक्रम बनाये गये, अतः उन क्षेत्रों का भी दौरा हुआ और ''प्रभावन'' कार्यक्रम भी बना। कुछ स्थानों में तो पेरिश ने कार्यक्रम दिया, पर अधिकांश स्थानों में डाइरेक्टर के कार्यक्रम के अनुसार हुआ।

II. विचारगोष्ठियाँ, शिक्षा सह कार्य शिविर, प्रशिक्षण आदि

मानव संसाधन विकास के विभिन्न और वृहत कार्यक्रमों को बदलती और बिगड़ती परिस्थितियों के बीच भी ''सब लोगों'' के द्वारा लागू किये जाने के लिए तो लोगों को सोचना-विचारना, बात करना और काम करना आवश्यक है, अतः सभा, सम्मेलन, मिलन-जुलन, जलसा से अधिक विचार गोष्ठियों, प्रशिक्षण आदि की आवश्यकताएं और उपयोगिताएं हैं। अतः इन्हीं बातों पर ध्यान रखते हुए ही ऐसे ''कार्य योजना'' बने हैं। ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेनेवालों (प्रतिभागियों) के लिए विचार करना, बात करना और काम करना को अवसर, अधिकार और जवाबदेही मानकर चलना है। अतः कार्ययोजना के अनुसार कुछ विशेष विषयों को लेकर विचार गोष्ठियों के आयोजन हुए।

1. महिला क्षमता विकास कार्यक्रम : महिला सशक्तिकरण

विश्व में ''मानव अधिकार'' के तत्वावधान में ''महिला स्वतंत्रता'' या ''नारी मुक्ति'' (संयुक्त राष्ट्र संघ) के लिए आवाज के साथ-साथ योजनाएं चल रही हैं और कलीसियाओं ''महिला दशक'' (1988 से 1998) का अभियान चला, ऐसे समय में पं.सू.का. से चलाये जा रहे 'स्वास्थ्य' के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्य मातृ-शिशु-स्वास्थ्य सेवा' को ''महिला क्षमता विकास कार्यक्रम'' के रूप में विकसित किया और उसको ''पूर्ण चंगाई'' का रूप देकर ''महिला स्वतंत्रता'' या ''महिला दशक'' के लाभ को तृण-मूल स्तर तक पहुंचाने का प्रयास और उपाय हुआ अत: कई पेरिश केन्द्रों विचारगोष्ठियों के रूप में संयोजित की गयी। यह गोलियों 1998 से ही चलायी जा रही है। 2001 वर्ष ऐसे अनेक स्थानों (10 केन्द्रों) में चलायी गयी। महिलाओं में जागरूकता आयी, काम हुए, कुछ प्रगतियाँ (एवं फल भी) आये उन्हें समझने-बूझने और अपने जीवन में लागू और जारी करने के लिये विचार गोष्ठियाँ आवश्यक रूप से चलायी गयी। पेरिश स्तर तक तो बहुत चल चुकी हैं, अब पाद्रीपन स्तर में भी चलानी है। कुछ पेरिशों व क्षेत्रों में विचार गोष्ठियाँ नहीं चलायी जा सकीं, पदधारियों की रूचि ही अलग है या असहयोगात्मक रवैये हैं? 'मानव-अधिकार' को 'सब लोगों' के लिए वास्तविक जो सब लोगों के लिये होना, 'महिलाओं' की परिस्थितियाँ जग जाहिर है। कलीसिया ने अपनी कार्ययोजना चलाई, ''महिला दशक'' से समान अधिकार, समान अवसर के साथ समान जवाबदेही भी है। कहा गया है, आत्मिक सेवकाई के लिए आराधना, उपासना, उपदेश आदि के अधिकार मिले हैं :- पर जवाबदेही भी? वैसा संवैधानिक प्रशासनिक अधिकार प्रतिनिधित्व करत हुए सिफ़ारिश करने व निर्णय लेने में भी साथ देते हुए कन्धे पर कन्धे मिलाकर चलने का अवसर है, यह सब पारम्परिक ढ़ंग से चलता है या कुछ और अधिक? इसके लिये उचित और आवश्यक है - आत्म पहचान, आत्म विश्वास। बस इन्हीं से आत्मनिर्भरता होगी। आत्मनिर्भरता तथा स्वावलम्बन के बिना या कहें 'पूर्ण चंगाई' के बिना 'स्वतंत्रता' का व्यावहारिक रूप मात्र कठिन है, 'पूर्ण चंगाई' दैहिक केवल नहीं, पर आत्मिक, मानसिक। शैक्षणिक, नैतिक, सामाजिक के साथ आर्थिक भी है। अत: आत्म निर्भरता आवश्यक है। आत्म निर्भरता के लिए महिलाओं को आय-अर्जन करना ही है, शिक्षण-प्रशिक्षण योग्यता कार्य। पेशा अपनाना है। आत्म पहचान के आधार पर तो जंगल, जमीन, जल से या सहज उपलब्ध चीजों से खाद्य पदार्थ (पौष्टिक आहार) दवा, गृह-उपयोग सामान एवं गृह सज्जा। सिंगार के लिये इकट्ठा कर उनके व्यवसाय कार्य में लगजाना है। अत: इस क्रम में विचार गोष्ठियाँ विभिन्न स्तरों में आयोजित की गयीं, कुछ वस्तुओं के उत्पादन, तैयारी एवं परिक्षण के लिए प्रशिक्षण भी दिए गए। इन बातों को समझने एवं व्यावहारिक बनाने के लिए विचार-गोष्ठियों में विचार-विमर्श, बात-चीत एवं काम करने के लिए कुछ प्रश्नों को इस तरह दलगत अध्ययन के लिए रखा गया :-

1. आपको महिला दशक से क्या-क्या लाभ हुआ?
2. आपके यहाँ या बदलती और बिगड़ती परिस्थितियाँ हैं?

3. आप ''आत्म-पहचान'' एवं ''आत्म-बल'' के लिये क्या कर रहे हैं?

4. आत्म निर्भरता के लिये क्या-क्या काम कर रही हैं?

5. आपके यहाँ जंगल, जमीन एवं जल से क्या मिलते हैं?

6. इन मिलने वाली वस्तुओं की क्या उपयोगिता है? ''महिला समिति'' या मंडली की महिलाएं अर्थ-अर्जन के लिये क्या करती हैं?

7. इन सारी बातों और कामों में क्या-क्या समस्यायें हैं?

(पेरिश की महिला प्रतिनिधियों के साथ एक स्थान एच.आर.डी.सी. में विचार-गोष्ठी सह प्रदर्शनी-बिक्री कार्यक्रम से पता चल रहा है कि महिलाएं सामूहिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत रूप से और स्वरोजगार रूप में अनेक चीजों की तैयारी / उत्पादन कर रही है, पर उन के लिए बिक्री की समस्या है। कलीसिया महिला संघ के पद्धारी और सक्रिय कार्यकारिणी इनके लिये उपाय करें, तो अच्छी सहायता होगी)।

2. पंच सूत्रीय कार्यक्रम पर विचारगोष्ठियाँ

प्रतिवर्ष ऐसी विचारगोष्ठी होती आ रही है, वर्ष के आरम्भ इसके लिए उपयुक्त समय समझा गया : 20/24-29 जनवरी तक ऐसी विचार गोष्ठी का विषय होता है : पं.सू.का. का मूल्यांकन (गुजरे वर्ष के कार्यक्लाप) एवं कार्य योजना चालू वर्ष के लिए। इस वर्ष भी जनवरी 24-26, 2002 को विचार गोष्ठी हुई, सुसमाचार कार्य क्षेत्र के पुरोहित कर्मचारियों के साथ कलीसिया महिला संघ के प्रतिनिधि भी थी; ताकि महिलाओं की वार्षिक कार्य योजना के साथ एच.आर.डी.सी./एफ.पी.पी. की वार्षिक योजनाओं से टक्कर न लें।

इस बार विचारगोष्ठियों में प्रयास किया गया कि पंच सूत्रीय कार्यक्रम (ए.पी.पी./पं.सू.का.) के कार्य बिन्दुओं पर ध्यान देते हुए कुछ सूक्ष्म रूप किया जाय? यह तो कार्य दोनों के रिपोर्ट एवं कार्य रूप को सुनते समझते एवं वर्तमान बदलेती एवं बिगड़ती परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार कुछ कार्य पहलू जोड़ दिये गये।

(i) ***शिक्षा :-*** साक्षरता एवं शिक्षा के लिए विभिन्न अभियान कार्यों को जारी रखते हुए अल्प, अधूरे, नये ''शिक्षितों'' के लिए स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों पर भी ध्यान देते हुए इनकी विभिन्न सम्भावनाओं को कार्यान्वित करें।

(ii) ***स्वास्थ्य :-*** बीमारियों पारम्परिक के इलाज और प्रतिरोधात्मक बात और काम (पौष्टिकाहार) के साथ कुछ नई बीमारियों के लिए भी लोगों को सावधान करने के पहल करना है, पहल कराना है।

(iii) ***खेती-बारी एवं अन्य पेशा :-*** नयी-नयी खेती, उत्तम खेती, मिश्रित खेती, पौष्टिकता की

खेती एवं रोकड़ लाभ खेती में अगुवाई देते हुए पारिस्थितिकीय खेती पर विशेष ध्यान देना है, इसमें वृक्षारोपण के साथ-साथ जिसमें विभिन्न वृक्षों की बातें हैं, ''ग्रीनवीक : क्लन वीक'' अभियान को भी सफल बनाने पर जोर दें।

स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए रूचि और सम्भावनाओं के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उपाय और प्रयास करना और कराना है। यहाँ जंगल, जमीन और ज के साथ ही सहजोपलब्ध सामग्रियों के साथ काम करने की भी उपाय करना/कराना है।

(iv) ***अर्थ व्यवस्था :-*** आर्थिक स्वावलम्बन को विशेषता देते हुए ''यथोचित खर्च'' की सलाह देते हुए ''बचत'' की भी बातें कहनी है, इसके लिए विभिन्न सम्भव रोजगार के साथ अर्जित की गयी रकम भी ''बचत खाता'' सावधि खाता एवं चल-अचल सम्पत्ति के माध्यम से पारिवारिक, सामूहिक (कलीसियाई) जीवन को सार्थक बनाने के लिए आत्म-निर्भर होना आवश्यक है।

(v) ***आत्मिक सेवा :-*** आत्मिक जीवन की मजबूती के लिए परिस्थितिगत आत्मिक सेवा आवश्यक है, यह पारम्परिक की ही बात नहीं है, नीति विधि पारम्परिक ढंग से कर देना यथेष्ट नहीं है, पर उन अपनाये गये विश्वास पद्धतियों को दैनिक और व्यावहारिक कामों में भी प्रकट करना है? इसके लिए आज अनेक प्रकार की पुस्तक-पुस्तिकाएं उपलब्ध करायी गयी हैं, उनका भी काम में लाना आवश्यक और उचित है, ताकि विभिन्न लोगों और सब लोगों की उनकी परिस्थितियों में उचित सेवा मिल सके।

आज ''पूर्ण सेवकाई'' की बात कही जाती है, पर यह किस आधार पर, वचन और सक्रामेंट की ही सेवकाई या कि आत्मिक और सामाजिक सेवा भी। खिस्त प्रभु की ''सेवा घोषणा'' को देखें (लूक 4:18-19+20)।

3. कर्मचारी शिक्षा-सह कार्य शिविर

''महिला क्षमता विकास कार्यक्रम'' की कार्ययोजना को ध्यान में रखते हुए शिक्षा-शिविर को प्रचारिकाओं के लिए अलग से ही किया गया, इसमें ''महिला क्षमता विकास'' को लेकर विशेष चर्चाएं चली। महिला ''पूर्ण साक्षरता'' एवं ''पूर्ण विकास'' जो कलीसिया महिला संघ के संविधान का उद्देश्य है, उनका महिलाओं के बीच लागू करना है - क्या और कैसे करें?

इसमें ''मानव अधिकार'' को लेकर ''महिला दशक'' को लागू किया गया, क्या स्थायी लाभ हुए हैं? स्वतंत्रता एवं समान अवसर। अधिकार पाते हुए आत्मनिर्भरता की कमी के कारण यह दैनिक जीवन में व्यावहारिक नहीं दिखते हैं। अत: महिलाओं के बीच आत्म पहचान एवं आत्म विश्वास में मजबूत होते हुए आत्मनिर्भरता, विशेष कर आर्थिक स्वावलम्बन में मजबूत बनना है, इसके लिए महिलाओं को स्वरोजगार के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण होना जरूरी है, ताकि महिलाएँ जंगल, जमीन और जलोपज चीजों से खाद्य पदार्थ एवं अन्य उपयोगी घरेलू वस्तु बनाये जा सकते हैं।

इन उपरोक्त विषयों और बातों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही साथ कुछ उत्पादन, तैयारी एवं प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण भी दिये गये ताकि ये पेरिशों में महिलाओं के साथ काम कर सकें, पर ऐसा तो नहीं हो रहा है, सहयोग की कमी या लोगों की रूचि अलग है? खिस्तान होकर सिर्फ धर्म नीति-विधि ही आवश्यक है - यही परमेश्वर प्रेम है?

मई माह, 2001 के अन्तिम सप्ताह में सुसमाचार कार्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिये एच.आर. डी.सी. में शिक्षा क्लास का आयोजन किया गया, 60 ही कर्मचारी थे, बाकी इसकी आवश्यकता ही समझे? कुछ कठिनाइयाँ थी, वेतन उचित समय में नहीं मिले तथा नया वेतनमान लागू होने से घाटा भी हो गयी है, ऐसी अवस्था में डायोसिस या सुसमाचार कार्य एवं विकास विभाग से कोई खास आर्थिक सहयोग नहीं मिले।

इस कार्यक्रम के समय कार्यशिविर, तालाब से मिट्टी काटना एवं बाइबल अध्ययन क्षेत्रों का रिपोर्ट आदि पर बातचीत हुई और पंच सूत्रीय कार्यक्रम को कैसे लागू करें कि लोगों को आवश्यक सेवा मिल जाय। रिपोर्ट को सुनने से ऐसा लगता है कि काम तो आवश्यक रीति से हो रहे हैं, पर अनेक कर्मचारी तो अपने पहले की जगह में रहकर काम चलाने का प्रयास करते हैं, पर ऐसा करना तो अधूरा काम की ओर ही संकेत करते हैं। काम करने का क्या फल दिख रहा है?

4. पंच सूत्रीय कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण

अनेक बार और अनेक स्थानों में सिफारिश किये गये हैं और निर्णय भी लिए गये हैं कि पंच सूत्रीय कार्यक्रम (पं.सू.का.) को पूरी कलीसिया की मंडलियों में लागू किया जाय, हालांकि अभी भी अनेक पदधारीगण इस अभियान को सुसमाचार कार्य क्षेत्र के लिए ही है? ऐसी बातों को जानते हुए हमारे शुभचिन्तक और सहयोगियों में चिंताएं हैं। 1999 में केन्द्रीय परिषद् के निर्णय से कि इनको सभी डायोसिस में लागू किया जाय, सहयोगियों के बीच काफी उत्साह हुआ, पर सच कहा जाय, पं. सू.का. का कोई खास कार्यान्वियन नहीं हुआ है, पं.सू.का. के कुछ कार्य बिन्दु अवश्य कुछ ठोस रूप पा गये हैं- पेरिश या पाद्रीपन में कार्यक्रम के रूप में अपनाये गये हैं। जैसे विशेष कर वृक्षारोपण।

इन्हीं बातों को लेकर मार्च माह के अन्तिम में इस विजय अर्थात पं.सू.का. को पाद्रियों के शिक्षा क्लास के समय एक विशेष विषय लेकर कई वार्ताएं प्रस्तुत किए गये। पर उसका प्रभाव नहीं के बराबर है?)। ''पंच सूत्रीय कार्यक्रम'' के महत्व आज भी हैं और आवश्यक भी है, इसके जो सामाजिक और आत्मिक पहलु खिस्त सेवा (लूक 4:18+19) पर आधारित और केन्द्रीय परिषद् ने भी 1999 दिसम्बर में ऐसा निर्णय लिया है। हालांकि किसी बिशप के डायोसिस के रिपोर्ट में इसकी चर्चा नहीं है, अत: इस साल भी जून माह में डायोसिस से चुने / भेजे गए स्वयंसेवकों के लिए पं.सू.का. को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित था। ऐसा ही गत वर्ष 2000 ई. के जून महिने में भी हुआ, पर कार्यरूप कहाँ? यह भी एक चौकानेवाली बात भी प्रकाश में आया कि ''नवजीवन प्रकाश केन्द्र'', गोविन्दपुर प्रशिक्षण केन्द्र में आत्मिक एवं सामाजिक सेवा के प्रशिक्षित कर्मचारी भी लौटकर

पारम्परिक सेवा कार्य ही करते हैं, ''सामाजिक-विकास कार्य'' सीमित हो जाते हैं, 2001 के पुनरूत्थान पर्व के बाद आयोजित ''विचारगोष्ठी''। जलसा के क्रम में ''पंच सूत्रीय कार्यक्रम'' के भाषण के बाद दिखी। पर दलगत विचार-विमर्श के अन्तर्गत यह उजागर हुआ। कम से कम जर्मन प्रतिभागितयों की ऐसी ही राय अभी हाल में बात-चीत के क्रम में कहा गया, कि सभी उपदेशकों, पंचों व अन्रू उपदेशकों को कुछ अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है, कि वर्तमान परिस्थितिगत उपदेश होना आवश्यक है।

IV. *सुसमाचार कार्यक्षेत्रों के कार्य-कलाप (रिपोर्ट)*

''सुसमाचार कार्य क्षेत्र'' बंगाल, असम, झारखण्ड, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के जिलों में छितरे हुए हैं। कुछ स्थानों तो कर्मचारियों को काम देने के विचार से नियुक्ति दी गयी है, क्योंकि ऐसे कर्मचारी को वेतन भोगी बनाये रखना है, अत: बिना कार्य योजना व क्षेत्र की परिस्थिति को पहचाने बिना कार्य आरम्भ करने का रिपोर्ट किये जाते हैं, पर क्षेत्र, डायोसिस या सुसमाचार कार्य एवं विकास विभाग के कोई बिना समन्वय के रिपोर्ट दे दिया जाता है, पंच सूत्रीय कार्यक्रम के ''कार्य बिन्दुओं के आधार रिपोर्ट दिया जाता है, पर बहुधा ये रिपोर्ट ''वृहतरूप'' (माइक्रो) रिपोर्ट ही होते हैं.... ''किया जाता है,'' पर उनका क्या नतीजा हुआ, जिनको लाभ हुआ, ऐसा सूक्ष्म रिपोर्ट (माइक्रो रूप) नहीं होते हैं। अभी लगभग 120 कर्मचारी क्षेत्रों में हैं, जिनमें पुरोहित, प्रचारक, प्रचारिकाएं भी हैं, इनके अतिरिक्त कुछ स्वयंसेवक भी हैं। अनेक क्षेत्रों में विश्वस्ततापूर्वक काम हो रहे हैं। पर कई स्थानों में दूर जगह पर रहते हुए करते कार्य सीमित हैं, कुछ कर्मचारियों से एक ही कार्यबिन्दु होते हैं। प्रयास और उपाय है कि पं.सू.का. के सभी कार्य बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाय कि लोगों को वास्तविक कार्य में आनन्द मिले।

V. *प्रकाशन कार्य*

चूंकि एच.आर.डी.सी. में ''साहित्य केन्द्र'' भी जुड़ा हुआ है, अत: प्रकाशन के कार्य किये जाते हैं, हालांकि इसमें खास सहयोग एवं समन्वय की रूचि नहीं दिखती है। पुस्तकों की बिक्री-वितरण में कोई सुविधा नहीं, विशेष कर ''बुक लेड'' को डाह देने के बाद किसी को चिन्ता नहीं है कि साक्षरता और साहित्य सेवा को सक्रिय बनाने के लिए ऐसे केन्द्र की आवश्यकता मेन रोड, राँची में है पर इसकी परवाह किसको? अभी तक तो कलीसिया में आत्मिक सेवा के लिए पारम्परिक ढंग से रीति-विधि के लिए पुस्तकों की कमी नहीं है। मुण्डारी भाषा में अराधना की पुस्तक? पर कलीसिया की आरे से सामाजिक जवाबदेही एवं सेवा की बातों पर भी तो ध्यान देना है। ''पड़ोसी प्रेम'' को भी तो व्यावहारिक बनाना है? इनके लिए भी कुछ छोटी-छोटी पुस्तिकाएं प्रकाशित की गयी हैं, आप पढ़े तो अवश्य ही कलीसियाई सेवा को सार्थक बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

1. आपका / मेरा घराना परमेश्वर का घराना
2. खिस्त के साथ गलील से गलगला तक
3. विजय भूमि से कर्म भूमि की ओर
4. चिनगारियाँ-चिन्तन

खिस्तीय जीवन को सार्थक बनाने के लिये इन पुस्तिकाओं पर ध्यान देना सहायक सिद्ध होगा।

VI. *अर्थ व्यवस्था*

''मानव संसाधन विकास केन्द्र'' गोस्सनर कलीसिया की केन्द्रीय संस्थान कहलाती है और है भी, पर कितने लोग ऐसा समझते हैं तथा इससे ऐसी अपेक्षा करते हैं और इसके लिए अपेक्षा करते हैं? कुछ लोग संवैधानिक एवं प्रशासनिक रीति से ऐसा तो मानते हैं कि एच.आर.डी.सी. गोस्सनर कलीसिया की है पर गोस्सनर कलीसिया की इस संस्थान के लिए कितनी जवाबदेही भी है, विशेष कर आर्थिक जवाबदेही के लिए तो अपने को अलग रखने को ही अपनी बहादुरी समझते हैं।

''मानव संसाधन विकास केन्द्र'' की आर्थिक मजबूती के लिए सहयोगी मित्रों का अंशदान जारी है। उसके लिए धन्यवादी हैं, पर उनके देश और दुनियां की बदलते अर्थव्यवस्था के कारण साल दर साल अंशदान का घटता रूप ही नजर आ रहा है, ''योजनाओं'' के माध्यम से आगे सहयोग देते रहने विशेष उपाय की बात कहते हैं। गोस्सनर कलीसिया को प्रशासनिक या कहें अन्य संस्था या क्षेत्र इस ओर कुछ कदम ही नहीं उठा रहे हैं। एच.आर.डी.सी. ने कलीसिया की जागृति, संलग्नता एवं सहयोग के लिए कुछ कदम उठाये हैं कि पूरी कलीसिया का सम्बन्ध और जवाबदेही इस संस्थन के साथ जारी रहे। ''सुसमाचार दिवस'' ने केवल रकम-रुपैया इकट्ठा करने का एक उपाय है, बल्कि यह कलीसिया के लोगों को ''सुसमाचार मिला है'' उनके पास और उनके द्वारा जारी रहे, इसके लिए धन्यवाद और प्रार्थना भी जारी रहना है, इसको महोपवास काल सिर्फ मनन ध्यान करने से यथेष्ट नहीं है, बल्कि ''सब लोगों को इकट्ठा करने'' का काम। सेवा भी करना है (यूहन्ना 12:32)। ऐसा ही सेवा में मानव संसाधन विकास कैार्य केन्द्र लगा हुआ है। अत: ''मित्र अंशदान'', ''सदस्य अंशदान'', ''आजीवन अंशदान'', ''संरक्षण अंशदान'' आदि के उपाय हैं कि रकम संस्थान के संचालन के लिए प्राप्त हो, अब यह एक अलग बैंक खाता में जमा किया जाता है। HRDC CORPUS FUND, GEL CHURCH, RANCHI संस्थान से ''साहित्य सेवा'' के लिए सभी/ अनेक प्रकार के पुस्तक-पुस्तिकाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रयास भी जारी है। इसके लिए संस्थान का अपना निजी ही प्रयास है। इस योजना पर भी समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। अनेक पेरिश, पाद्रीपन, मंडली, परिवार एवं व्यक्तियों ने अब अपना सहयोग दिया। सभों को हार्दिक धन्यवाद और बधाई हो!!

अगले पन्नों में ऐसे सहयोगियों एवं शुभचिन्तकों की सूची भी दे दी गयी है।

❖❖❖

ग्रामोदय-आश्रय केन्द्र (आकरा)

प्रभु यीशु ख्रीस्त की सेवा त्रिविध सेवा, सामाजिक आत्मिक सेवा (लूक 4:18-20) के रूप अब भी जारी रखने के लिये बड़े आनन्द के सुसमाचार को सब लोगों के लिए पहुंचाने के उद्देश्य उपाय और प्रयास के लिये पंच सूत्रीय कार्यक्रम (शिक्षा, स्वास्थ्य, खेतीबारी, अन्य पेशा, अर्थव्यवस्था एवं आत्मिक सेवा) का अभियान चलाया गया (1980)। इसी को संगठनात्मक और सक्रिय रूप देने के लिए ''ग्रामोदय आश्रय'' का अभियान चलाया गया। आरम्भ काल में सुसमाचार कार्य क्षेत्रों की मंडलियों में एक नियमावली ''विकास समितियाँ'' पांच सदस्यीय बनी। जो पंच सूत्रीय कार्यक्रम के तर्ज पर आधारित थी। जैसे- ''पंच सूत्रीय कार्यक्रम'' की चर्चाएं जर्मनी और जेनेवा में चली यह 'ग्रोमोदय आश्रय'' का अभियान भी विशेष आकर्षण का विषय रहा। एक क्या दो जर्मन शोधकर्त्ताओं या लेखकों ने अपने लेखों में इसकी चर्चा करते हुए इसकी विशेषता को उजागर किया।

कालान्तर में यह आन्दोलन भूला सा दिया गया। कलीसिया में शासन-प्रशासन, आत्मपालन आदि विषयों को लेकर खूब उठा पटक हुआ, यह जारी भी है। अत: ख्रिस्तीय जीवन और काम अराधना-उपासना और रीति-विधियों तक ही सीमित रह गया। सुसमाचार कार्य क्षेत्र की मंडलियों के काम कलीसियाई शासन-प्रशासन की एकांगी सक्रियता तथा सहयोग से 'रुपैया' मिल रहा है, इसलिये तो काम करना है'' की भावना से सीमित एवं प्रभावहीन होते जा रहे हैं।

ये सब होने के बावजूद ''सुसमाचार'' का कार्यान्वयन तो होना ही है कि ''सब लोगों के लिये हो जाय''। अत: ''ग्रामोदय आश्रय'' का सीमित रूप से व्यावहारिक रूप से आकरा में (गोविन्दपुर पेरिश के कोटबो, पाद्रीपन के अन्तर्गत, धीरे-धीरे विशेष रूप लेता जा रहा है, यह एच.आर.डी.सी. के डाईरेक्टर के निजी अथक प्रयास के रूप है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती-बारी, अन्य पेशा, अर्थव्यवस्था एवं आत्मिक सेवा का ''प्रयोग स्थल'' है। मानव संसाधन विकास केन्द्र के माध्यम अनेक कार्यक्रम, अभियान विचार गोष्ठियाँ, प्रशिक्षण, महिला क्षमता विकास, आदि चलाये जाते रहे हैं, इस क्रम में न जाने कितने विचार विमर्श और बात हुए, और कहीं काम हुए या नहीं, पर यहाँ आकरा में जो ग्रामोदय-आश्रय का रूप लेता जा रहा है, प्रयोग के रूप में अनेक काम हो रहे हैं। अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी कुछ ठोस रूप ले रहे, शिक्षा के लिए छोटा स्कूल, स्वास्थ्य के लिये रोग निरोधक, बात और काम, खेतीबारी के क्रम में नयी खेती के प्रयास कुआं, तालाब लगभग तीन हजार के विभिन्न पेड़-पौधे आदि यहाँ उपलब्ध चीजों से अर्थ-अर्जन के कुछ उपाय, ''बचत खाता'' की ओर ध्यान, एक छोटी मंडली के साथ सहकर्मी के विशेष कार्यशैली। इनसे कलीसिया के विभिन्न समूहों, स्वयंसेवकों, सहकर्मियों, पद्धारियों, सहयोगियों को कुछ देखने, जानने आदि के लिये ''प्रयोग स्थान'' तो मिला। हाल में एक ''शोधकर्त्ता'' भी पहुँचा, वह एच.आर.डी.सी. के कार्यकलापों, उपाय और प्रयासों का शोध कर रहा है, वह इस ''प्रयोग स्थल'' को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ। मानो कह रहा हो, आत्मिक, सामाजिक सेवकों / कर्मचारियों के लिये तो यह ''प्रयोग स्थल'' होते हुए एक

''तीर्थ स्थल'' सा रूप ले रहा है, इस स्थान पश्चिम एक ''पर्यटन स्थल'' भी लगभग तीन किलोमीटर के फासले पर ''बाघ मुण्डा'' घाघ।

यह ग्रामोदय-आश्रय केन्द्र (ग्राश्केन) आकरा राँची से खूंटी, तोरपा-कमडरा-बसिया-सिमडेगा के मार्ग पर 100 कि.मी. पर पक्की सड़क से तीन कि.मी. में कच्ची सड़के के किनारे है। यह यहाँ मनन-ध्यान, शिक्षण-प्रशिक्षण, विचार-गोष्ठी, शिक्षा सह कार्य शिविर के लिये उपयुक्त एवं मनोरम स्थल है। एक साथ तीस से चालीस लोगों को न्यूनतम सुविधा के साथ आश्रय मिल सकता है।

आने वाले दिनों / वर्षों में ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाने का प्रयास होगा कि प्रशासनिक या संगठन या विभाग-इकाई समूह यहाँ कलीसिया में और कलीसिया के द्वारा आत्मिक सामाजिक सेवा और विकास के लिये आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

पिकनिक और प्रभावन कार्यक्रमों के लिये भी आदर्श स्थल है। विभाग के वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर डाईरेक्टर एच.आर.डी.सी., जी.ई.एल. चर्च, राँची से सम्पर्क कर सकते हैं।

❖❖❖

जी.ई.एल.सी. मानव संसाधन विकास केन्द्र एवं सी.ई.एल. के लिए

(जी.ई.एल.चर्च, राँची-834001)

आपके विभिन्न दान जनवरी-जून (2002) मिले धन्यवाद

1.	Rev John Dang, Govindpur	(Donation)	Rs.	2000.00
2.	Mr. Subodh Barla, C.C.Office	(Donation)	Rs.	300.00
3.	G.E.L. Church, Debadih	(Gospel Day's Offerrings)	Rs.	900.00
4.	G.E.L. Church Ghato	- do -	Rs.	218.00
5.	G.E.L. Church, Ghagra Shantipur	- do -	Rs.	500.00
6.	Govindpur Parish Council	- do -	Rs.	1188.00
7.	Rajgangpur Parish Council	- do -	Rs.	683.00
8.	Karbi Anglong	- do -	Rs.	125.00
9.	Delhi Parish	- do -	Rs.	633.00
10.	G.E.L. Church, Bishrampur	- do -	Rs.	181.00
11.	G.E.L. Church, Amgaon	- do -	Rs.	90.00

12. Miss Agatha Trikey, C.C. Office	(Donation)	Rs.	200.00
13. Shri B. K. Hemrom	- do -	Rs.	100.00
14. Mr. Ashok Kr. Samad	- do -	Rs.	50.00
15. Jatatoli Parish Council	(Gospel Day's Offerings)	Rs.	300.00
16. Burnpur Patorate	- do -	Rs.	664.00
17. Mrs. A. Kachhap	(Gospel Day's Offerings)	Rs.	200.00
18. Rev. B. Krause	(Donation)	Rs.	2500.00
19. Hd. Quarters Congregation	(Gospel Day's Offerings)	Rs.	3525.00
20. Raidang Parish Council	-do-	Rs.	110.00
21. Rev. R. P. Mundu	(Donation)	Rs.	150.00
22. German Student	- do -	Rs.	200.00
23. Rev. Dr. C. K. Paul Singh	- do -	Rs.	500.00
24. Miss Suchitra Prabha Minz	- do -	Rs.	1000.00

इस साल 2002 के जनवरी से मार्च तक भी बहुतों से अंशदान मिले हैं उन्हें अगले अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट जनवरी से जून 2002 में प्रकाशित किया जायगा, चुंकि ऐसा दान आ ही रहे हैं, जो अब तक नहीं भेजे हैं कम से कम ''सुसमाचार-दिवस दान'' के दान यथाशीघ्र में भेजें। सभों को आपलोगों के अंशदान एवं सदस्यता दान के लिए बहुत धन्यवाद!!

❖❖❖

यहोवा मेरा चरवाहा है
मुझे कुछ घटी न होगी।

(भ.सं. 23:1)

मानव संसाधन विकास केन्द्र एवं सी.ई.एल.

(जी.ई.एल. चर्च, राँची - 834001)

एच.आर.डी.सी. / एफ.पी.पी. - कार्ययोजना के वार्षिक प्रस्तावित कार्यक्रम 2002 ई.

जनवरी 2002

4 वर्ष कार्यारम्भ
10 मर्चा, विचार गोष्ठी : एफ. पी. पी. / पंचों का काम
11-13 कारीमाटी - सुसमाचार कार्यक्षेत्र दौरा (दक्षिण पश्चिम डायोसिस)
14-15 घोघार पाद्रीपन विचार गोष्ठी, महिला क्षमता विकास कार्यक्रम
16-17 सुन्दरगढ़ पेरिश " "
17-18 देवगढ़ सुसमाचार कार्य क्षेत्र दौरा
24-29 एच.आर.डी.सी. विचारगोष्ठी एफ.पी.पी. (मूल्यांकन) कार्य योजना

फरवरी 2002

7-8 ग्रामोदय : ग्राश्केन : तैयारियां : पी.पी.डी.पी. (1)
21-23 जूरदा पास्टोरेट, विचार गोष्ठी : म. क्ष. वि. कार्यक्रम
26-28 एच.आर.डी.सी. विचारगोष्ठी पूरे पेरिश म. क्ष. विकास कार्यक्रम

मार्च 2002

5-8 आनन्दपुर (पाद्रीपन), विचारगोष्ठी : म. क्ष. विकास कार्यक्रम
14-18 ग्राश्केन / आकरा विचारगोष्ठी : पी. पी. डी. पी.
19-22 कोटबो पाद्रीपन की मंडलियों में दौरा कार्यक्रम

अप्रील 2002

2-6 राँची में विभिन्न अतिथियों के साथ कार्यक्रम
8 एच.आर.डी.सी. शासी निकाय बैठकियाँ
9-12 केन्द्रीय परिषद् बैठकियां (राँची)
16-20 द. पू. डायोसिस सुसमाचार कार्यक्षेत्र भ्रमण (गोइलकेरा)
22-29 उत्तर पश्चिम डायोसिस सुसमाचार कार्यक्षेत्र भ्रमण (कापू, सामरी पाल)

मई 2002

2–4 ग्रामोदय

7–10 पेरिश : पं.सू.का., पी.पी.डी.पी. प्रशिक्षण कार्यक्रम

14–17 पेरिश : पं.सू.का., पी.पी.डी.पी. प्रशिक्षण कार्यक्रम

21–28 एच.आर.डी.सी. सुसमाचार कार्यक्षेत्र शिक्षा सह कार्य शिविर

जून 2002

4–10 एच.आर.डी.सी. / ग्राशकेन : स्वयंसेवक, प्रशिक्षण (एफ.पी.पी.)

18–22 ग्राशकेन : पेरिश प.स.का. / पी.पी.डी.पी. प्रशिक्षण

25 बाल दिवस

जुलाई 2002

2–5 ग्रामोदय

8–10 एच.आर.डी.सी. / ग्राशकेन वृक्षारोपण

10 ओटोनोमी दिवस / पी.पी.डी.पी. (?)

15–20 ग्रामोदय / ग्राशकेन / पी.पी.डी.पी. (प्रशिक्षण)

अगस्त 2002

3–6 ग्रामोदय

7–10 एच.आर.डी.सी., पी.पी.डी.पी. प्रशिक्षण (शहरी क्षेत्र)

20–23 एच.आर.डी.सी., पी.पी.डी.पी. प्रशिक्षण (शहरी क्षेत्र)

26–30 एच.आर.डी.सी., पी.पी.डी.पी. प्रशिक्षण (शहरी क्षेत्र)

सितम्बर 2002

4–6 ग्रामोदय

13–16 एच.आर.डी.सी., पी.पी.डी.पी. प्रशिक्षण (शहरी क्षेत्र)

20–23 ग्राश्केन, पी.पी.डी.पी. प्रशिक्षण (शहरी क्षेत्र)

25–28 पेरिश, पी.पी.डी.पी. प्रशिक्षण (शहरी क्षेत्र)

अक्तूबर 2002

3–5 ग्रामोदय

8–11 एच.आर.डी.सी., पी.पी.डी.पी. (प्रशिक्षण)

15-23 उ. पू. डायोसिस, सुसमाचार कार्यक्षेत्र दौरा। पी.पी.डी.पी/वाइनीएल

नवम्बर 2002

2-5 सुसमाचार कार्य 'पर्व', विशेष कार्यक्रम

12-15

या

19-22 पेरिश पी.पी.डी.पी. (प्रशिक्षण)

दिसम्बर 2002

3-6 ग्रामोदय

9-12 पेरिश / एच. आर. डी. सी.

16-18 एच. आर. डी. सी. / ग्राशकेन } पी.पी.डी.पी. प्रशिक्षण

21 वर्ष कार्यान्त

टिप्पणियाँ : उपरोक्त कार्यक्रम में अनेक तिथि, जगह एवं विषय दिये गये हैं, पर कुछ ऐसे विषय एवं तारीख हैं, जिसके लिये जगह नहीं है। इच्छुक इकाई, पेरिश आदि डाइरेक्टर से बातचीत करके अपने यहाँ कार्यक्रम में बुला सकते हैं।

उपदेशक क्षमता विकास कार्यक्रम (Preachers' Potential Development Programme) एक नयी कार्य योजना SRCT या FPP के तर्ज पर चलाने की कार्य योजना है। इसी रिपोर्ट में PPDP पर छोटा ''विषय - जानकारी लघु लेख'' भी है, - पढ़े !

उपदेशक क्षमता विकास कार्यक्रम

(Preachers' Potential Development Programme)

एक नई कार्ययोजना का प्रयास

पृष्ठभूमि : यह उपरोक्त विषय एक जाना माना लगता है, पर अभी कलीसिया में और कलीसिया के बाहर की बदलती और बिगड़ती परिस्थितियों को देखते, जानते और मानते हुए इस विषय पर फिर से, नये सिरे से सोच-विचार करना और काम करना, प्रशिक्षण देना तथा लेना आवश्यक दिखता है।

यह ''पंच सूत्रीय कार्यक्रम'' कहें या ''कलीसिया की सामाजिक जवाबदेही आज'' के विषय कहें, खीस्तीय विश्वास की एक ही वास्तविकता की ओर संकेत है। ''परमेश्वर प्रेम'' और ''पड़ोसी प्रेम'', मनुष्य का आत्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। ध्यान से पढ़ें, ध्यान करें तो पता चलेगा, कि यह विषय उत्पत्ति (की पुस्तक) से प्रकाशित वाक्य (की पुस्तक) में वर्णित घटनाओं में महत्वपूर्ण बतलाया गया है। इसी के रूप में परमेश्वर की इच्छा, शक्ति और प्रेम को प्रमाणित करते हुए प्रत्यक्ष कर दिया गया है और मनुष्य को भी अपने जीवन के उद्देश्य को सार्थक बनाने के लिए ऐसा ही करना है। इसको परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने के लिए उपाय किया, चुना, बुलाया और भेजा, कि ''सब लोग'' आशीष पायें, इकट्ठे किये जायं, - अब्राहम, याकूब (इस्राएल), यशायाह, यिर्मियाह, यीशु खिस्त (नृत्य 12:1-3, यशा. 6:1-9, यिर्म 1:4-9 मिलायें यशा 66:18-22, यूहन्ना 12:32, लूक 4:18-20)। चुने, बुलाये और भेजे गये ईश्वर भक्त उपदेशकों, नबियों के उपदेश, घोषणा में परमेश्वर प्रेम (भक्ति) को दिखाने के लिये उपासना, रीतिविधि एवं बलिदान के साथ पड़ोसी सेवा / प्रेम को कार्यरूप देने के लिये प्रोत्साहन एवं उलाहना देने के लिये खड़े किये गये (यशा. 1:11-20, होशे 6:6, आमोस 5:21-24, मीका 6:8)। इसी के अनुसार यीशु खिस्त ने अपनी सेवा आरम्भ किया (लूक 4:18+19+21) और ऐसी ही सेवा को (जारी) करने की आज्ञा दी (मत्ती 10:5-8 मिलायें युहन्ना 20:21)। वर्तमान में भी उपदेशक को नबीय / पैगम्बरी (प्रोफेटिक) उपदेश देना है, कि लोग परमेश्वर-प्रेम और पड़ोसी-प्रेम में मजबूत होते जायं और खिस्तीय जीवनोद्देश्य को सार्थक बनाने, प्रोत्साहन (एवं उलाहना) देने की सेवा करें, मात्र औपचारिकता निवाहना नहीं है और न उपदेश देने को केवल एक अधिकार, अवसर या आशीष ही समझें, पर एक विशेष जवाबदेही भी समझें।

क्या है? यहाँ ''खिस्तीय उपदेश''/ प्रवचन को लेकर कुछ कहने व करने की आवश्यकता दर्शायी जाने की बात है। यों तो गोस्सनर कलीसिया में 150 सालों से उपदेश दिया जा रहा है और भविष्य में दिया ही जायगा। इससे कलीसिया और मंडली के बहुतों को सेवा, आशीष और अगुआई

मिली है। वर्तमान में कलीसिया, मंडली और परिवार के जीवन में ऐसे जीवन रूप दिखते हैं, जिससे ऐसा लगता है, कि अनेक प्रकार की समस्याओं के बीच में रहते बहुतों को ''खिस्तीय जीवन'' की आशीष, आनन्द और उद्देश्य से कोई खास मतलब नहीं है (!) क्या इसमें उपदेश एक कारण है? 'उपदेश' मात्र एक औपचारिकता ही है? कुछ नवसिखवे, अप्रशिक्षित (प्रशिक्षित भी?) और अन्धों में काना राजा'' की विवशता को लेकर ''उपदेश देने'' का अवसर और अधिकार पा जाते हैं, और ''उपदेश'' देते ही हैं, देना भी है। ऐसे उपदेश खिस्तीय जीवन (''परमेश्वर-प्रेम'' और ''पड़ोसी-प्रेम'') के लिये कितने संवर्द्धनपूर्ण हैं? लोग ''(खिस्तान लोग)'' परमेश्वर प्रेम के लिये पारम्परिक औपचारिकताएं तो निबाहने में बहुत कुशल लगते हैं, पर सामाजिक (नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, कलीसियाई आदि) जीवन में ''पड़ोसी-प्रेम'' (और सेवा) को प्रत्यक्ष और व्यावहारिक देख पाना सीमित और क्षणिक ही है, कई पहलुओं में तो विपरीत, दिगभ्रमित और विनाशकारी ही लगते हैं।

कालान्तर में गोस्सनर कलीसिया की संख्यात्मक और क्षेत्रीयात्मक वृद्धि हो चली, जीविका निर्वाह के लिये भी लोग फैलते जा रहे हैं और जहाँ तहाँ छोटी-छोटी मंडलियाँ, शाखा मंडलियाँ स्थापित होती जा रही है। ये अपनी गोस्सनर कलीसिया की पहचान बनाये रखने के लिए अपने पारम्परिक और औपचारिक ढंग से आत्मिक और प्रशासनिक संगठन जारी रखने का प्रयास करते हैं। अत: वैसा ही उपदेश आदि का सिलसिला भी जारी रहता है। 'उपदेशक' भी अपने ही लोगों के बीच से प्रस्तावित और अधिकृत हो जाते हैं। शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्तियों पर बहुत ध्यान देने की बात और काम नहीं।

अभी कुछ वर्षों से विश्वव्यापी ''मानव अधिकार'' व ''महिला दशक'' कलीसियाई के क्रम में महिला स्वतंत्रता, समान अवसर, समान अधिकार (और समान जवाबदेही) की बात को लेकर महिलाएं भी अनेकों अधिकार, अवसर के साथ-साथ उपदेश देने, आराधना संचालन करने आदि का काम भी करने लग गयी है। कुछ प्रशिक्षित होकर पदाभिषिक्त भी हो गयी और नहीं तो कम से कम अधिकृत हो गयी है। इनमें अनेक तो, जैसे पुरूष पद्धारी होने के कारण वैसा ही महिलाएं भी पद्धारी होने के कारण ऐसे-ऐसे कामों के लिये अधिकृत समझी जाने लगी। वे उपदेश भी देने लग गयी है। ये उपदेश प्रार्थना, आराधना, प्रार्थना संचालन आदि निजी ''साहस बढ़ाने'' के लिये है'', पर साथ ही खीस्त विश्वासियों को परमेश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम के लिए ''प्रोत्साहन'' भी तो देना है।

ऐसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और उनके स्थायी महत्व को देखते हुए ऐसे ऐसे ''उपदेशकों'' की क्षमता का विकास जरूरी है, इसके लिए प्रत्येक प्रशासनिक इकाई की और ''क्षमता विकास'' के लिये ''कार्य योजना'' हो, कि कलीसिया और मंडली के लोगों का आत्मिक और सामाजिक उचित प्रति पालन हो (इफि 4:11-13)।

मानव संसाधन विकास केन्द्र में और उसके द्वारा इस के लिए एक ''लघु कार्य योजना'' रूप देने का प्रयास करने का कार्यक्रम है।

इससे जो प्रशिक्षित उपदेशक हैं, और जो निजी अध्ययन, मनन और समर्पण से ''उपदेशक'' होने का गौरव प्राप्त किये हैं, उन्हें न किसी प्रकार की चुनौती है, और न ही उन्हें कोई ईर्ष्या होनी है, पर उन्हें तो पूर्ण सहयोग देना है, कि उपदेशकों के उपदेश की संप्रासंगिता श्रोताओं के जीवन में आनन्द, आशीष और सक्रियता भर दे और वे ईश्वर प्रेम एवं पड़ोसी प्रेम में मजबूत हो जायं और खिस्तीय विश्वास, काम और जीवन में बढ़ते जायं, विकसित होते जायं तथा युगान्त में न्याय के सामने और न्यायी की दहिनी ओर खड़े हो सके (मत्ती 25:31-46)।

क्यों? आज ''उपदेशक क्षमता विकास कार्यक्रम'' की आवश्यकता है, क्योंकि उपदेश का उद्देश्य और उपदेशक का स्थान और काम सिमटते जा रहा है। उपदेशक के उपदेश से श्रोताओं में दिन प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर, खिस्त के साथ और पड़ोसी (1 झुंड) के साथ में / (संगति में) दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना / विकसित होते जाना है (प्रेरित 2:42-47, इफिसी 4:11-13, मिलाएं लूक 9:23)। खिस्तानों के जीवन में आज कुछ और ही दिखता है। जीवन की सप्रासंगिता में उपदेश खरा उतरता हुआ नहीं लगता है। मनुष्य, खिस्तान के जीवन-स्थान की परिस्थितियाँ कुछ और ही हैं। पर उसके समाज, देश, धर्म(?) और आर्थिक अवस्था के रूप भी कुछ और ही है। उपदेश के अलंकृत शब्द और वाक्य या ''सण्डे स्कूल शिक्षा'' सी जानकारी देते वर्णन उबाव होते ही हैं, पर उपदेशक के आत्मिक एवं सामाजिक-पारिवारिक जीवनचर्या भी लोगों पर विपरीत ही प्रभाव डालते हैं। धर्म शास्त्र को उचित और यथेष्ट जानकारी के अभाव और धर्मशास्त्र के समकालीन धार्मिक, सामाजिक एवं भौगोलिक ज्ञान की घटी से उपदेश उपहास बनते जा रहे हैं। उनकी गम्भीरता समाप्त होते जा रही है। उपदेश में प्रोत्साहन, आह्वान या खिस्तीय विश्वास-सिद्धान्त शून्य होते जा रहे हैं(?)। अत: आवश्यक और उचित दिखता है, पुनर्विचार और मार्गदर्शन हो कि ''उपदेश'' क्या और कैसा है? उपदेशक कौन और क्या है? आत्म निरीक्षण?

कैसे? अब तो संशोधित नये संविधान के लागू किये जाने का छटवां सालगिरह तो मना ही लिये हैं, ''बिशप-पद्धति'' लागू किये जाने की करामत का भी अनुभव हो ही गया। पद, पैसे और प्रतिष्ठा का ही खेल रहा। किसी भी क्षेत्र में कुछ नया कर सकने का प्रयास, उपाय और न ही कुछ कार्य योजना और न परियोजना का ही कुछ नया रूप रहा। आत्मिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, नैतिक, सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र में भी कुछ बढ़ती नहीं दिखी। कुछ नाम मात्र नये या परिवर्तित लगे, पर कार्य क्षेत्रों में तो ह्रास ही नजर आये।

आत्मिक क्षेत्र में कुछ बढ़ती और उत्पत्ति की बातें सोची / समझी गयी, पर वह पारम्परिक रीति विधि और धार्मिकता पर ही सीमित रही। पारिवारिक, सामाजिक या प्रशासनिक जीवन में तो बातें बिगड़ती गयीं, हालांकि इन क्षेत्रों में ही अधिक व्यस्तता दिखायी गयी। आत्मिक स्थिति बिगड़ती गयी, क्योंकि आर्थिक एवं प्रशासनिक स्थिति भी बिगड़ती गयी या कहें आर्थिक एवं प्रशासनिक स्थिति बिगड़ती गयी, फलत: आत्मिक स्थिति भी बिगड़ती गयी। सर्वसमाविष्ट सेवा व काम को

सोचना, बात करना और काम करने की आवश्यकता ही नहीं समझी गयी। ''विदेशी'' सहयोगियों और मित्रों ने कई बार इस ओर (विशेष कर पं.मु.का.) कई बार कहा और लिखा भी, तददुनसार कई बार सिफारिश और निर्णय भी लिये गये। केन्द्रीय परिषद् की बैठकियों में भी! काम तो बहुत कम हुआ या कुछ नहीं के बराबर हुआ। अभी भी कहा जा रहा है कलीसिया की बढ़ती के लिये ''आत्मिक सेवा'' पर विशेष सेवा दी जाय। विशेष कर अनगिनित नये-नये ''उपदेशकों की क्षमता विकास'' के लिए। गत वर्षों में ''आत्मिक जागृति'' के प्रयास हुए पर पारम्परिक ढंग से ही, जिससे ''आत्मिक जागृति'' के भाषण तो ''यथेष्ट'' हुए, उनके जीवन तो बदले नहीं या कुछ हुए भी तो सीमित और क्षणिक ही।

अत: आवश्यकता है, इसके लिए लम्बी, दीर्घकालीन और लगातार कार्ययोजना की, जो विश्वास जीवन और काम में निरन्तर दिखती जाय। इसके लिए केन्द्रीय परिषद् और डायोसिस तथा उनके विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों का विश्वस्त एवं सतत् प्रयास एवं उपाय हो। यह खिस्त यीशु की ''त्रिविध-सेवा'' के या ''पंच सूत्रीय कार्यक्रम'' के या नये संशोधित संविधान में उल्लेखित ''चतुर्विध कार्य'' के रूप में हों। इनमें से किसी को भी कार्यकारी व खिस्तीय जीवन में व्यावहारिक बनाने के लिये तो उपदेशकों को इनकी सूक्ष्मताओं को समझते और समझाते हुए सर्वसमाविष्ट सेवा और जीने के लिए प्रोत्साहन देना और आह्वान करने की बड़ी जवाबदेही है (इफि. 4:11-13)। इसको पूरी करने में ही विभिन्न तरह से बदलती और बिगड़ती परिस्थितियों में खिस्त विश्वासी लोग परमेश्वर-प्रेम और पड़ोसी प्रेम में खरे उतरेंगे (देखें 1 यूहन्ना 4:20)।

इस प्रकार की जवाबदेही के लिय शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्रों को भी तैयार हो जाना है और अपने संस्थानों एवं संगठनों को इसके लिए सक्रिय होना है, कराना है। इसके लिये पहल करने की इच्छा-शक्ति और साधन की आवश्यकता है। पर आवयश्कता को ही पहले देखने की इच्छा-शक्ति होनी !!

❑❑❑

कुछ नये और लघु लेख तथा पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं, उन्हें भी पढ़ना आवश्यक एवं सहायक है।

जी.ई.एल.सी. मानव संसाधन विकास केन्द्र एवं सी.ई.एल.
जी.ई.एल. चर्च राँची 834001 (झारखण्ड)

सदस्यता प्रपत्र

नाम .....

पूरा पता ..... पिन कोड .....

मैं जी.ई.एल.सी. मानव संसाधन विकास केन्द्र एवं सी.ई.एल. के नियम-विनियम और उसके लक्ष्य तथा उद्देश्य को मानने के लिये प्रतिज्ञा करता / करती हूँ ओर इन कामों को समर्थन देने के लिये तैयार हूँ। एच.आर. डी.सी. के लक्ष्य और उद्देश्य नीचे दर्शाये गये हैं।

मेरी रूचि .....

स्थान .....दिनांक ..... हस्ताक्षर

★ *लक्ष्य एवं उद्देश्य*

एच.आर.डी.सी. निरक्षरता, बीमारी, बेरोजगारी, गरीबी, मतवालापन, नशीली पदार्थ सेवन, आत्मिक तथा सामाजिक उदासीनता, मानव अधिकार हनन, पर्यावरण प्रदुषण, आदि के विरूद्ध अभियान / आन्दोलन के लिये समर्थन और सहयोग का उपाय और प्रयास करेगा, ताकि खीस्त के मेल-मिलाप का सुसमाचार (शन्ति, संगति और समृद्धि) का कार्यान्वयन हो।

एच.आर.डी.सी. वैयक्तिक संसाधन विकास के माध्यम से सामाजिक विकास के लिए कार्यक्रमों (विचारगोष्ठी, कार्यशाला, प्रशिक्षण आदि), कार्ययोजनाओं का पहल एवं संगठन करते हुए उनका आयोजन करेगा, ताकि जाति, धर्म, लिंग, उम्र, पेशा और रूचि का भेद-भाव किये बिना खीस्त के कथन को पूरा करेगा :

''मैं इसलिये आया कि वे जीवन पाएँ, वरन् बहुतायत का जीवन पाएँ। (यूहन्ना 10:10)

चन्दे अंशदान एवं दानों की दरें

सदस्यता अंशदान प्रतिवर्ष

1.	व्यस्क	...	...	रु.	25.00
2.	छात्र / छात्रा / बच्चे	...	...		13.00
3.	संस्था / संगठन	...	...		200.00
	(कम से कम प्रति व्यक्ति)	...	...		1.00
4.	सहयोग सदस्य	...	...		250.00
II.	आजीवन / गोल्डेन	..	..		500.00
III.	संरक्षक सदस्य	...	...		1000.00

पाक्षिक पत्रिका / रिपोर्ट परिपत्र आदि के लिए 50.00 रुपये अतिरिक्त अंशदान देय है। अपील है सदस्य बनें और बनाएँ भी।

अपना बैंक चेक / ड्राफ्ट इस नाम पर दें :

HRDC - CORPUS FUND, GEL CHURCH, RANCHI